



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222665
CG-DL-E-22102020-222665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]
No. 305]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2020

मामला सं. एसजी-07/2019

विषय : भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के तहत कोरिया गणराज्य से "पॉलीबुटाडीन रबर" के आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच का अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 22/7/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. भारत के गणराज्य की सरकार और कोरिया की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (जिसे यहां आगे "सीईपीए" कहा गया है) के अनुच्छेद 2.22 और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (जिसे यहां आगे "नियमावली" अथवा "द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से पॉलीबुटाडीन रबर (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के बढ़े हुए आयातों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए सीईपीए और द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के अनुसार व्यापार उपचार महानिदेशक (जिसे यहां आगे "महानिदेशक" अथवा "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. महानिदेशक ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 7 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या एसजी-07/2019 जारी की।
3. अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई थी। अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया गया था कि नाजुक परिस्थितियां थीं जिनके कारण अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना आवश्यक हो गया था। प्रारंभिक जांच परिणाम कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 12 मई, 2020 की अधिसूचना सं. 22/7/2019-डीजीटीआर के माध्यम से जारी की गई थी। केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 31/2020-सीमा शुल्क के माध्यम से सीईपीए के अंतर्गत दी गई रियायतों को समाप्त कर रक्षोपाय शुल्क लगाया और कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर 200 दिनों की अवधि के लिए सीमा शुल्क की दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. महानिदेशक ने दिनांक 7 नवंबर, 2019 की जांच शुरुआत की प्रति केन्द्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, कोरिया गणराज्य के भारत में स्थित दूतावास, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों और आवेदन पत्र में उल्लिखित ज्ञात आयातकों और अन्य पक्षकारों को उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार भेजी।
 - ख. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति केन्द्र में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के माध्यम से कोरिया सरकार और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार उपलब्ध कराई गई थी।
 - ग. महानिदेशक ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को द्विपक्षीय जांच शुरू किए जाने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दायर करने तथा तीस दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया :
 - i. कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स लि.
 - ii. एलजी केम लिमिटेड
 - घ. दायर प्रश्नावली के उत्तर में दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर जारी किए।
 - ड. महानिदेशक ने आवश्यक सूचना मंगाने के लिए नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी :
 - i. जे के टायर्स इंडस्ट्रीज लि.
 - ii. अपोलो टायर्स लि.
 - iii. एमआरएफ लि.
 - iv. सीईएटी लिमिटेड
 - v. बिरला टायर्स
 - vi. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लि.
 - vii. गुडईयर इंडिया लिमिटेड
 - viii. कांटीनेंटल इंडिया लि.
 - ix. योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - x. मैट्रो टायर्स लिमिटेड
 - xi. रालसन इंडिया लिमिटेड

- xii. ट्रेड्स डायरेक्ट लिमिटेड
- xiii. इंडाग रबर्स लिमिटेड
- च. निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर में जारी आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं :
- टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड
 - अपोलो टायर्स लिमिटेड
 - एमआरएफ लिमिटेड
 - सीईएटी लिमिटेड
 - जेके टायर लिमिटेड
- छ. महानिदेशक ने घरेलू उद्योग को भी प्रश्नावली भेजी। घरेलू उद्योग ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।
- ज. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर देते हुए अनुरोध दायर किए:
- कोरिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - कोरिया सरकार
 - ऑल इंडिया रबर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 - ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमएम)
- झ. प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन के बाद, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थीं:
- कोरिया सरकार
 - ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमएम)
 - सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड
- ञ.. प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रकाशन के बाद, महानिदेशक ने इस नियमावली के नियम 5(6) के संदर्भ में 20 अगस्त, 2020 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जहां सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था। उसके बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था। मौखिक सुनवाई के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया गया था।
- ट. मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध और प्रति उत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए:
- कोरिया सरकार
 - कोरिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
 - ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमएम)
 - सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड
 - ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन - आवेदक ने समय सीमा समाप्त होने के उपरांत आवेदन दायर किए। तथापि, वर्तमान जांच में किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है।

- ठ. महानिदेशक ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ड. कोरिया की सरकार ने विचार-विमर्श के अवसर का लाभ उठाया जो 21 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। कोरिया की सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जांच और उसका समाधान किया गया है। इसके अलावा, कोरिया की सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को पूर्व में भी लिखित अनुरोधों के माध्यम से उठाया गया था जिनपर वर्तमान जांच-परिणामों में विधिवत् विचार किया गया है और उपयुक्त रूप से समाधान किया गया है।
- ढ. जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी संगत पाया गया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान महानिदेशक द्वारा इस अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।

ग. आवेदक एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

ग.1 विचाराधीन उत्पाद

5. आवेदक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - क. पांच प्रकार के पॉलीबुटाडीन रबर हैं जिनमें से टाइटेनियम और लीथियम ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। पॉलीबुटाडीन रबर के टाइटेनियम ग्रेड की घटिया गुणवत्ता है और अप्रयोज्य हो गया है। लीथियम ग्रेड का प्रयोग प्लास्टिक रूप में किया जाता है। अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इन दोनों ग्रेडों को शामिल नहीं करता।
 - ख. इस उत्पाद के एक प्रकार/ग्रेड को तभी जांच के दायरे से बाहर किया जा सकता है जब इसका आयात किया जा रहा हो और घरेलू उद्योग के पास विशेष ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता नहीं हो। घरेलू उद्योग के पास नियोडाइमियम ग्रेड का उत्पादन करने की क्षमता है और उस तथ्य का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच में किया गया था और तदनुसार नियोडाइमियम ग्रेड(एनडीबीआर) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया था।
6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - क. घरेलू उद्योग नियोडाइमियम ग्रेड(एनडीबीआर) का उत्पादन नहीं करता है जिसका अधिकांश आयात कोरिया गणराज्य से होता है। यदि उसका उत्पादन किया भी जाए तब यह उत्पाद औद्योगिक प्रयोक्ताओं के गुणवत्ता प्रमाणन को पूरा नहीं करेगा। यह उत्पाद अंतिम प्रयोक्ता विशेषकर वैश्विक टायर निर्माताओं के लिए सीमित उपयोग में है।
 - ख. एनडीबीआर ग्रेड न तो प्रतिस्थापनीय है और न ही अन्य पॉलीबुटाडीन रबर की समान वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग उच्च कार्य-निष्पादन टायरों में होता है।
 - ग. घरेलू उद्योग ने केवल एक बार एनडीबीआर ग्रेड के बैच का निर्माण किया जिसे प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। घरेलू उद्योग ने कभी भी इस ग्रेड की बिक्री के लिए प्रयोक्ता उद्योग से संपर्क नहीं किया।
 - घ. लिथियम और टाइटेनियम ग्रेड पीबीआर पर अनंतिम शुल्क लगाया जाना समाप्त किया जाना चाहिए।
 - ड. सिफारिश संबंधी पैरा में सही ग्रेडों का उल्लेख नहीं करने के फलस्वरूप सभी ग्रेडों के पॉलीबुटाडीन रबर पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया जबकि ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे पीबीआर के टाइटेनियम और ग्रेडों के अपवर्जन के लिए संशोधन करें।

ग.2 घरेलू उद्योग

7. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।
8. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

ग.3 गोपनीयता

9. गोपनीयता के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. समायोजन योजना अत्यधिक गोपनीय है और इसके प्रकटन से इसके हितों को हानि पहुंचेगी।
- ख. जिन मानदंडों पर हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन की मांग की है वे रक्षोपाय आवेदन का हिस्सा भी नहीं हैं।

10. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. इस आवेदन का अगोपनीय पाठ दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 जो सभी व्यापार उपचार जांचों के लिए लागू है, में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। यह आवेदन उनमें निहित आरोपों को तर्क संगत तरीके से समझने की अनुमति नहीं देता।

ग.4 विविध अनुरोध

11. अन्य विविध मुद्दों के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. आवेदन में चयनित अवधि पर्याप्त रूप से लंबी है जिससे कि बढ़े हुए आयातों के होने और उसके कारण क्षति होने के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद में इस बात का पता लगाने के लिए कोई रियायतों की अवधि, शुल्क में कटौती की अवधि और शुल्क की समाप्ति की बाद की अवधि शामिल होनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप है।
 - ग. समायोजनाओं के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह लागतों को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। घरेलू उद्योग ने एक समायोजना दी है जिसमें उत्प्रेरक और रसायन पदार्थों, लागत में कटौती, परिवर्तन लागत में कटौती, प्रक्रिया कार्य-क्षमता में सुधार, खपत मानदंडों में सुधार, परिवहन लागतों में कटौती, भंडारों का सर्वांगीण सुधार आदि पर कार्यवाही शामिल है। चूंकि घरेलू उद्योग ग्राहक के परिसरों में आयातों की पहुंच कीमत के आधार पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करता है, कंपनी चार वर्षों की अवधि में कोरिया से आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
 - घ. पाटनरोधी जांच में, कोरिया गणराज्य से आयात अपाटित कीमतों पर हुए हैं जिसके कारण जांच कोरिया के विरुद्ध समाप्त कर दी गई थी।
 - ड. पाटनरोधी जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया था कि कोरिया गणराज्य से वस्तुओं की पहुंच मूल्य में कमी पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार करार की रियायतों का द्योतक था।
 - च. घरेलू उद्योग कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए किए गए उपायों से अपनी समायोजन योजना को पूर्ण रूप से लागू करने में सक्षम होंगे।
 - छ. तिमाही आंकड़ा पिछले आंकड़ों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्षिकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया था।
 - ज. यह सिद्ध नहीं किया गया है कि किस प्रकार से जांच की शुरुआत अलग हुई होती अगर समायोजन योजना के बारे में सूचना पहले ही प्रस्तुत की गई होती।
 - झ. अनुच्छेद XIX में यह प्रावधान है कि सामान्य रक्षोपाय जांच में आयातों में वृद्धि का कारण प्रशुल्क रियायतों सहित अप्रत्याशित घटनाक्रम होना है।
 - ञ. यदि कोरिया की सरकार को जांच शुरुआत की सूचना के बारे में अथवा उन्हें भेजी गई सूचना के संबंध में कोई आपत्ति थी तब उन्हें इस चिंता को अपने प्रारंभिक अनुरोधों और न कि जांच के इस चरण में उठाना चाहिए था।
12. अन्य विविध कारकों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- क. आवेदक को महानिदेशक द्वारा यथा-निर्धारित अर्थात् अप्रैल, 2015 से जून, 2019 की अवधि के आधार पर संशोधित आंकड़े अवश्य देने चाहिए।
 - ख. समायोजन योजना अत्यधिक गोपनीय है और यह जांच की शुरुआत के पूर्व के चरण में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

- ग. इस जांच को इस आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए कि आवेदक ने कोई समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है जो कि अनिवार्य रूप से कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.23(छ) तथा इस नियमावली के नियम 4(2) के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
- घ. द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 4(2)(ख) में याचिकाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वे अनिवार्य रूप से समायोजन योजना प्रस्तुत करें। समायोजन योजना प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, शुल्क को लगाने की सिफारिश फथेलिक एनहाइड्राइड (पीएएन), कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट, यह अनराउट एल्युमिनियम का एलाय न किया हुआ इनगाट्स और फैलैक्सीबल स्लैबस्टाक पोलयोल से संबंधित रक्षोपाय जांचों में सामान्य तौर पर सिफारिश नहीं की गई थी।
- ङ. गैट 1994 का अनुच्छेद XIX में अप्रत्याशित घटनाक्रम से यह अपेक्षित है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हो सकती थी जिसका आवेदक ने अपनी याचिका में निवारण नहीं किया है। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि को अर्जेन्टीना-प्रिज्वर्ड पीचेज मामले में पैनल द्वारा यथा मानी गई अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- च. भारतीय घरेलू उद्योग की मौजूदा परिस्थितियां कोरिया-भारत सीईपीए के अनुच्छेद 2.24 के अनुसार अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता सिद्ध करते हुए नाजुक परिस्थितियां नहीं हैं।
- छ. इस याचिका में आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों में अप्रैल-जून, 2019 की अवधि का कोई आंकड़ा नहीं है।
- ज. अनुक्रमण के लिए 2007-08 से आंकड़ों की प्रस्तुति के फलस्वरूप घरेलू बाजार में घटनाक्रमों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- झ. आवेदक ने द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच आरंभ करने के लिए इन शर्तों को साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है। अनुच्छेद 2.22 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।
- ञ. प्रारंभिक जांच परिणाम वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के आंकड़ों के आधार पर है। घरेलू उद्योग ने प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से उक्त अवधि के लिए केवल वार्षिकीकृत आंकड़ों को साझा किया था।
- ट. आवेदक ने जांच की संशोधित अवधि के लिए कोई अद्यतित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।
- ठ. जैसाकि नियम 5(1)(ग) के अंतर्गत अपेक्षित है, महानिदेशक ने जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में तथ्यों का सारांश रूप में कथन का उल्लेख नहीं किया है जिस पर गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का आरोप आधारित था।
- ड. अर्जेन्टीना फुटवियर और यूएस - स्टील सेफगार्ड में अपीलीय बाँडी की रिपोर्ट के अनुसार, आयातों की प्रवृत्ति पर समग्र अवधि के लिए विचार किया जाना अपेक्षित है।
- ढ. 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाहियों के लिए आंकड़ों को शामिल करना सही नहीं होगा क्योंकि यह अवधि जांच की अवधि अथवा जांच की शुरुआत संबंधी सूचना का हिस्सा नहीं है।
- ण. जेके टायर और एटीएमए की आयातक की प्रश्नावली के उत्तर पर महानिदेशक द्वारा विचार नहीं किया गया है जो उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है और कुछ मामलों में निर्णय/आदेश पर पुनर्विचार करने अथवा उसकी उपेक्षा करने के लिए आधार रहा है।
- त. विगत में महानिदेशक ने केवल एक-दो वर्षों के लिए शुल्कों की सिफारिश की थी जो समीक्षा के अध्यधीन थी।
- थ. घरेलू उद्योग नाजुक परिस्थितियों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाया है।
- द. नाजुक परिस्थितियों की जांच 2018-19 की 3-4 तिमाही के लिए आंकड़ों पर ही आधारित होनी चाहिए।
- ध. काफी अधिक समय बीत जाने के बाद प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क लगाना उपयुक्त नहीं है।

ग.5 कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयात

13. कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद का आयात शुल्क रियायत वृद्धि के साथ इस अवधि की तुलना में काफी हद तक वृद्धि को दर्शाता है।
- ख. पिछले 12 वर्षों में, आयातों में सीईपीए के अंतर्गत दी गई रियायतों के कारण लगभग 1093 गुणा तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा सीमा शुल्क शून्य होने के साथ आयात पिछले तीन वर्षों में दुगुना हो गया है।
- ग. मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से में 4 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में 73 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- घ. आयातों की मात्रा में 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही में अधिक वृद्धि हुई है।
- ङ. आयातों की मात्रा 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में भी काफी हद तक अधिक रही है।
- च. अन्य देशों से आयातों को भी रियायतें दी गई हैं। हालांकि, अन्य देशों से आयातों में वैसी वृद्धि नहीं देखी गई है।
- छ. उत्पादों और खपत की तुलना में आयातों में 2007-08 की तुलना में 424 प्रतिशत और 404 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- ज. इस तथ्य की जांच करने के उद्देश्य से कि क्या आयातों में प्रशुल्क रियायत के फलस्वरूप वृद्धि हुई है, शुल्क में कटौती के पूर्व के चरण, शुल्क में कटौती के चरण और शुल्क की समाप्ति के बाद के चरण के दौरान आयातों की मात्रा की वृद्धि देखना आवश्यक है।
- झ. अन्य देशों से आयातों में मांग के अनुरूप वृद्धि हुई है लेकिन कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि भारत में मांग के अतिरिक्त हुई है।
- ञ. लेन-देनवार आंकड़े आयातों की मात्रा का पता लगाने के लिए दिए गए हैं।
- ट. जांच की अवधि के लिए आंकड़े घरेलू उद्योग की प्रभावली के उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया था।
- ठ. केवल इस कारण से कि कुछ अन्य देशों से सीमा-शुल्क के संबंध में गलती से संदर्भ लिया गया है, यह इस तथ्य का पालन नहीं करता है कि महानिदेशक द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही नहीं है। महानिदेशक ने प्रारंभिक जांच परिणाम में शुल्क का दर दिया था।

14. कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयातों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

- क. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के साथ हुई है।
- ख. आयातों में कथित वृद्धि कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत शुल्कों में कटौती अथवा उसकी समाप्ति के परिणामस्वरूप नहीं हुई है।
- ग. भारत में पीबीआर का कोरिया से आयातों में हाल में, अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है।
- घ. पीबीआर के किसी कथित बढ़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति अथवा उसका खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है।
- ङ. एशियाई देशों से आयातों में वृद्धि की दर संबद्ध देश से आयातों की दर की तुलना में अधिक है।
- च. आयातों में वृद्धि में योगदान करने वाले प्रमुख कारण सीईपीए के अनुसरण में उस वस्तु पर प्रशुल्क में कटौती अथवा उसमें समाप्ति होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान जांच में यह गायब है।
- छ. 2010 से सीमा शुल्क की दर में लगातार गिरावट आई है लेकिन संबद्ध देश से आयातों में उसी दर से वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के कारण हुई है।

- ज. अन्य देशों से आयातों में कोरिया गणराज्य से आयातों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है।
- झ. संबद्ध आयातों की तुलना में एशियाई देशों से आयातों में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि हुई है।
- ञ. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार, एक तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए जो शुल्क में कटौती और आयातों में कथित वृद्धि के बीच संबंध को दर्शाता हो। महानिदेशक को उसकी एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण और प्रदर्शन की पहचान करनी चाहिए और उसे उपलब्ध कराना चाहिए।
- ट. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 की भाषा के अनुसार आयातों में अचानक, अत्यधिक अथवा तीव्र वृद्धि नहीं हुई है।
- ठ. सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, आयातों में वृद्धि क्षति का वास्तविक कारण होना चाहिए। हालांकि, आयातों में भी मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण वृद्धि हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि के साथ हुई है।
- ढ. 2013-14 में आयातों की मात्रा 45,509 मी.टन थी जब इस शुल्क को घटाकर 5.86 प्रतिशत कर दिया गया था और यह शुल्क को 2018-19 में घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया था तथा आयात 48,658 था, जो यह दर्शाता है कि आयातों और शुल्क में कोई सह-संबंध नहीं है।
- ण. शुल्कों में कमी के साथ-साथ घरेलू मांग में वृद्धि हुई थी क्योंकि भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर है। घरेलू उद्योग मांग का केवल 65 प्रतिशत पूरा कर सकता है।
- त. पिछली पाटनरोधी जांच में दायर की गई याचिका तथा वर्तमान द्विपक्षीय रक्षोपाय में आयातों की मात्रा अलग-अलग है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी को भ्रमित कर रहे हैं।
- थ. महानिदेशक को विभिन्न अन्य कारणों जिसने आयातों में वृद्धि में योगदान किया, का पता लगाने के उद्देश्य से कारणीय संबंध का मात्रात्मक आंकलन अवश्य करना चाहिए।

ग.6 क्षति

15. क्षति के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2008-09 में मामूली गिरावट के साथ इस अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. कोरिया के उत्पादक बाजार में कीमत का निर्धारक हैं और घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों को उनके द्वारा निर्धारित कीमत के पैटर्न का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
- ग. घरेलू उद्योग बिक्री की लागत की सीमा तक बिक्री कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हैं। मौजूदा कम कीमतें संबद्ध देश से आयातों की कम कीमतों के कारण ही है।
- घ. यह उद्योग को 2014-15 से वित्तीय हानि होती रही है।
- ड. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर मात्रा के प्रतिकूल प्रभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि यह उद्योग घरेलू बाजार में इस उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं हुआ है और यह कम लाभ पर निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए बाध्य रहा है।
- च. घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
- छ. अगर शुल्क में कोई रियायत नहीं दी गई होती तब पहुंच मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हुआ होता और घरेलू उद्योग को लाभ हुआ होता।
- ज. कोरिया के उत्पादकों को पहले से ही अत्यधिक क्षमताओं और निम्न धारा लागत का लाभ मिल रहा था। ये रियायतें पूर्ण रूप से भारतीय बाजार को उन्हें सौंप दिया है।

- झ. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अपनी विस्तारित क्षमता की बिक्री करने पर विचार किया लेकिन वह बहुत कम लाभप्रदता के साथ निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ।
- ञ. घरेलू उद्योग का अधिक उत्पादन कंपनी द्वारा अपनाई जा रही उत्पादन और कीमत निर्धारण नीति को देखते हुए हुआ है। हालांकि उत्पादन के प्रतिशत के रूप में घरेलू बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आ रही है और उस पर 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में प्रभाव पड़ना जारी रहा है।
- ट. घरेलू उद्योग या तो मालसूची के भंडार का सामना करने के लिए बाध्य है अथवा अपने उत्पादन की बिक्री करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपभोक्ताओं की तलाश करने के लिए बाध्य है।
- ठ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में भी गिरावट जारी रही।
- ड. 2019-20 में भारत में 22 देशों से आयात किया गया था लेकिन उनका सामूहिक हिस्सा कोरिया गणराज्य के हिस्से से कम है।
- ढ. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता को देश में मांग के साथ देखा जाना अपेक्षित है।
- ण. यदि वैश्विक उत्पादकों को उनकी घरेलू मांग से अधिक क्षमताओं के होने के कारण नुकसान हो रहा है तब यह उनकी समस्या है और घरेलू उद्योग वैश्विक उत्पादक के द्वारा सृजित उच्चतर क्षमताओं के कारण नुकसान नहीं उठा सकता है।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई सतत् हानि अपने आप में इस बात का पर्याप्त कारण है कि क्यों शुल्क रियायत को हटा दिया जाना चाहिए।
- थ. एकमात्र उत्पादक के द्वारा उठाई गई सतत् हानि से घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर दीर्घ अवधि में प्रश्न खड़ा होता है और इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं के निर्यातकों विशेषकर कोरिया के निर्यातकों की दया पर पूर्ण रूप से छोड़ा जा रहा है।
- द. पहुंच कीमत वर्ष 2017-18 और अप्रैल 2019 – जून 2019 को छोड़कर सभी अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम थी।
- ध. यह तर्क कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों का निर्धारण आयात की कीमत से 10 प्रतिशत अधिक पर करता है, इस तथ्य को साबित करता है कि आयात इन कीमतों का निर्धारण कर रहे हैं।
- न. घरेलू उद्योग को सतत् हानि उठानी पड़ रही है और यह बाजार के अवसरों को खो रहा है। इसका कारण से, इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।
- प. घरेलू उद्योग ने कच्चे माल को बाजार कीमत पर स्थानांतरित किया है और इस कारण से उचित कीमत पर पहुंचने के लिए कैपिटल इनपुट्स पर लाभ में कटौती करने का कोई आधार नहीं है।

16. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि हुई क्षति पाटन के कारण नहीं थी। इस कारण से, उन्नत कार्य-निष्पादन के साथ, कोई गंभीर क्षति अब नहीं हो सकती है।
- ख. इस अधिनियम की धारा 8(ख)(6)(ग) और (घ) तथा रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1(क) द्वारा यथा-परिभाषित कोई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा नहीं है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।
- ग. महानिदेशक ने अनराउट एल्युमिनियम के अलॉय न किए हुए इन्गॉट्स, 400 सरीरिज का कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न जहां उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ था, शुल्क की सिफारिश नहीं की थी। वही बात वर्तमान मामले में भी होनी चाहिए।
- घ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सीमा शुल्कों में कटौती के साथ सुधार हुआ है।
- ड. प्रारंभिक जांच परिणामों में आंकड़े जो यह दर्शाते हैं कि शुल्कों में कटौती के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को उसी अवधि में बहुत अधिक क्षति हुई है। एशियाई देशों से और न कि कोरिया गणराज्य से सीमा-शुल्क

लागू दर से संबंधित है। इस उत्पाद की कीमतें बूटाडीन की कीमतों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस कारण से कीमतों में गिरावट का कारण आयात की कीमत नहीं हो सकता है।

- च. जनवरी से सितंबर, 2019 तक भारत को पोलिबूटाडीन रबड़ का कोरिया के हाल के निर्यात में 13 प्रतिशत तक कमी आई है।
- छ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आयात की गई वस्तुओं का एक तर्कसंगत विकल्प और मांग को पूरा करने के लिए इसकी कम क्षमता उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण वृद्धि नहीं हो रही है।
- ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक कार्य-निष्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। सभी संगत मानदंडों जैसे बाजार का हिस्सा, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, बिक्री, लाभ और हानि तथा रोजगार ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है।
- झ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। संबद्ध वस्तुओं के संबंध में हाल की पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह क्षति पाटन के कारण नहीं हुई थी। इस कारण से, आवेदक को वर्तमान जांच में क्षति नहीं हो सकती थी जब इसके कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ।
- ञ. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग वैश्विक क्षमता उपयोग दर की तुलना में बहुत अधिक है (जो हाल की अवधि में 76 प्रतिशत है)
- ट. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान पीवीआर में उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया है।
- ठ. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में प्रति इकाई हानि, नकद हानि, ब्याज-पूर्व लाभ और कर तथा निवेश पर लाभ के संदर्भ में सुधार हुआ है।
- ड. घरेलू मांग में 2019-20 में 5 प्रतिशत तक कमी आई जिसके बावजूद घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से का बनाए रखने में सक्षम था।
- ढ. कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुंच कीमतें वर्ष 2017-18 तथा 2019-20 की पहली तिमाही में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम नहीं थी, जो यह दर्शाता है कि यह घरेलू उद्योग को कीमत में क्षति का कारण नहीं था।
- ण. घरेलू उद्योग ने अपने क्रेताओं के साथ एक वार्षिक खरीद योजना बनाई जिसमें यह संबद्ध वस्तुओं की कीमतों पर 10 प्रतिशत मार्क-अप वसूलता है।
- त. प्राधिकारी ने विगत में उन जांचों का समाप्त कर दिया है जिनमें आर्थिक मानदंडों ने सुधार दर्शाया तथा घरेलू उद्योग को क्षति कथित आयातों के कारण सिद्ध नहीं की गई थी।
- थ. यदि कम कीमतें कोरिया से आयातों के लिए निर्धारण करने वाला कारक था तब आयातों में उस स्थिति में भी कमी नहीं हुई होती जब घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया।
- द. अन्य देशों जैसे मलेशिया, सऊदी अरब, जर्मनी, चीन और इटली से आयातों की बिक्री कोरियन कीमतों की तुलना में इन देशों की कीमतों के अधिक होने के बावजूद की जा सकती थी लेकिन घरेलू उद्योग यह आरोप लगा रहा है कि वह बिक्री नहीं कर सका।
- ध. घरेलू उद्योग के घाटे ने वास्तव में 2017-18 में कमी आई जब अधिकतम लागू प्रशुल्क रियायतें कोरिया गणराज्य से आयातों को दी गई थी।
- न. एशियाई देशों से आयातों को कीमत में कटौती विश्लेषण में एक साथ समूह में नहीं रखा जाना चाहिए।
- प. घरेलू उद्योग ने 2014-15 में क्षति का सामना करना शुरू किया लेकिन इन वर्षों में कोरिया से आयातों में कमी आई।

- फ. उस अवधि जब कोई रियायतें नहीं थीं, की तुलना में वर्तमान पहुंच कीमत का संदर्भ मात्र यह नहीं दर्शाता है कि यदि रियायतों को समाप्त कर दिया होता तब घरेलू उद्योग उच्चतर कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम होगा।
- ब. घरेलू उद्योग को अपनी निम्नतर गुणवत्ता के कारण निर्यात करना पड़ा।
- भ. घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग 84-95 प्रतिशत घरेलू बाजार में बेचा गया था और इस कारण से यह दावा कि यह निर्यात करने के लिए बाध्य था, गलत है।
- म. निवल बिक्री कीमत घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी क्षति की जांच करने के लिए संगत नहीं है और इसके बजाय इसे उत्पादन की लागत और उचित बिक्री कीमत को बढ़ाना चाहिए, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उचित बिक्री कीमत को प्राधिकारी द्वारा विगत में विभिन्न रक्षोपाय जांच में संगत माना गया था।

ग.7 कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. एशियाई देशों से आयात कोरिया गणराज्य से आयातों की तुलना में मात्रा में बहुत कम है और यह हिस्सा बहुत कम है अतः इसका घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- ख. एशियाई देशों से आयातों की पहुंच कीमत कोरिया से आयातों की पहुंच कीमत से अधिक है और इस कारण से क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- ग. क्षमता मांग की तुलना में कम है और इसलिए मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- घ. घरेलू उद्योग ने गुप्त तरीके से कच्चे माल की खरीद की है और इस कारण से वैश्विक कीमतों में अस्थिरता का इसकी लागत पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा।
- ड. बुटाडीन की कीमतों में उतार-चढ़ाव कीमतों का समायोजन करने के लिए घरेलू उद्योग को अनुमति देने के उद्देश्य से रियायतों को हटाने के औचित्य को सही ठहराता है।
- च. घरेलू उद्योग की ह्रास और व्याज लागत में गिरावट आई है और इस कारण से क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हो सकती है।
- छ. प्रतिवादियों ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में आधारहीन मुद्दों को उठाया है और उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- ज. पांच देशों (मलेशिया, सऊदी अरब, जर्मनी, चीन और इटली) से आयातों का सामूहिक हिस्सा अकेले कोरिया गणराज्य से आयातों का एक तिहाई से कम है। कोरिया के आयातों ने कीमतों का निर्धारण किया है जिसके कारण अन्य आयातों को भी नुकसान हो रहा है।
- झ. यह आवश्यक नहीं है कि आयातों का घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर तत्काल और आनुपातिक प्रभाव पड़ सकता है।
- य. एशियाई करार के अंतर्गत दी गई रियायतों के संबंध में कोई किसी विश्लेषण को आशियान के अंतर्गत सभी देशों के लिए समग्र रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।
- ट. प्राधिकारी ने विगत में कभी भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण कच्चे माल की कीमतें थीं।

18. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

- क. इस करार के अनुच्छेद 4.2(ख) और इस नियमावली के नियम 7 के अनुपालन में, महानिदेशक से यह अपेक्षित है कि वे आयातों में वृद्धि और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करें तथा गैर-दोषारोपण विश्लेषण करें।

- ख. पीबीआर का कोरिया से आयात ने अकेले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का वास्तविक कारण स्थापित नहीं किया है।
- ग. बड़ी हुई लागत आवेदक द्वारा उन कीमतों पर कच्चे माल को स्थानांतरित करने के कारण हुई है जो वास्तविक लागत से अधिक है।
- घ. इस जांच में कारणात्मक संबंध का अभाव है, प्राधिकारी को कारणात्मक संबंध की जांच करनी चाहिए और गैर-दोषारोपण का विश्लेषण करना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी जांच की बाद की मौखिक सुनवाई के दौरान अनुरोध में यह उल्लेख किया था कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के आधार पर ही हुआ था और ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- च. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में उतार-चढ़ाव वैश्विक रूप से बुटाडीन की कीमतों में बहुत अधिक अस्थिरता के कारण ही हुआ है।
- छ. सिंगापुर, यूएई और यूएसए से आयात कोरिया के पहुंच मूल्य से कमतर कीमतों पर हुआ है।
- ज. सिंगापुर से आयातों का बाजार हिस्सा 2018-19 में 15.2 प्रतिशत था। आवेदकों ने इस संबंध में कोई कारण नहीं दिया है कि क्यों सिंगापुर से अत्यधिक आयात कीमतों को प्रभावित नहीं करते हैं।
- झ. घरेलू उद्योग को अन्य आंतरिक मुद्दों जैसे कच्चे माल की कीमतों की अस्थिरता, पूंजी निवेश के हास में वृद्धि, अत्यधिक ऋण संतुलन के कारण तथा पैट्रोकेमिकल क्षेत्र में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अत्यधिक पूंजी निवेशों के कारण अपेक्षित तुलन-पत्र के कारण नुकसान हो रहा है।
- य. प्राधिकारी को सर्वप्रथम अलग-अलग कारकों के द्वारा हुए परिणामों को अलग करना है और उसके बाद एक ओर प्रश्रुगत बड़े हुए आयातों और दूसरी ओर अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षतिकारक परिणामों को माना जाना है।
- ट. प्राधिकारी ने पूर्व की पाटनरोधी जांच में उल्लेख किया कि संबद्ध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है जब 2015-16 के दौरान क्षति के मानदंड और भी बदतर थे।
- ठ. यह पाया गया था कि पाटनरोधी जांच में कच्चे माल की लागतों के फलस्वरूप क्षति हुई है।
- ड. केवल इस कारण से कि एशियाई देशों से आयात कोरिया के आयातों से कमतर था, यह इस तथ्य को नहीं दर्शाता है कि वे क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।

ग.8. जनहित

19. कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- क. इन उपायों से प्रशुल्क रियायतों के कारण कोरिया के उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ ही समाप्त होगा।
- ख. शुल्कों को सबसे अधिक अनुकूल राष्ट्र की शुल्क दर तक वापस लाने से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।
- ग. आयात अभी भी कोरिया गणराज्य सहित सभी स्रोतों से किया जाता रहेगा और घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होंगे।
- घ. जनहित केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है और इसके दायरे में विचाराधीन उत्पाद को घरेलू उद्योग भी शामिल है।
- ड. टायरों की कीमतों पर प्रभाव मामूली है यदि कोरिया गणराज्य से शुल्कों को वापस एमएफएन स्तर पर लाया जाता है।
- च. यह तर्क कि शुल्क रियायत को वापस लेने से आयातों के लिए बाधा उत्पन्न होगी, हितबद्ध पक्षकारों की कल्पना मात्र है।

20. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:

- क. चूंकि आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है अतः शुल्क को लगाया जाना जनहित में नहीं होगा। आवेदक बाजार में अपने आप के लिए प्रभावी स्थान बना सकेंगे और नई कंपनियों के लिए अवरोध उत्पन्न करेंगे।
- ख. विगत में जनहित की जांच की गई है और जांचों का समाप्त किया गया है जहां रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं था। घरेलू उद्योग बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करेंगे।
- ग. रक्षोपाय शुल्क लगाने से कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि होगी और डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा अपेक्षित आवश्यक आपूर्ति ठीक करनी होगी – इसमें घरेलू टायर निर्माण उद्योग और अन्य अंतिम प्रयोक्ता शामिल हैं।
- घ. सीईपीए के अंतर्गत दी गई रियायतें संबंधित देशों द्वारा जनहित पर विचार करने के बाद दी गई थी और इस कारण से अनुचित लाभ देने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- ड. टायर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है और 10 प्रतिशत का शुल्क इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित करेगा।

घ. महानिदेशक द्वारा जांच

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में उपलब्ध कराई गई सूचना पर प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच परिणामों के उद्देश्य से विचार किया गया है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यद्यपि वैसे ही तर्क अलग-अलग रूप में और भाषा में दिए हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणामों में अनुरोधों की जांच की है और उसका समाधान किया है। संबद्ध आयातों में वृद्धि, गंभीर क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में इसमें नीचे जांच वास्तव में आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विचार करते हैं।

इसके अलावा, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:

- क. जहां तक अन्य आशियान देशों से आयातों का संबंध है यह देखा जाता है कि अलग-अलग देशों से पूर्ण दृष्टि से आयातों की मात्रा कम है और इन देशों से आयातों की पहुँच कीमत कोरिया से आयातों की पहुँच कीमत से अधिक है।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों की मात्रा में प्रशुल्क रियायत में वृद्धि के साथ वृद्धि नहीं हुई है। अतः महानिदेशक ने प्रशुल्क रियायत से पूर्व, प्रशुल्क रियायत की अवधि और प्रशुल्क की समाप्ति के बाद की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों की जांच की। संगत सूचना आवेदन पत्र में निहित है। जाता है कि चूंकि रियायत बड़ी, अतः कोरिया से आयातों की मात्रा बड़ी। यह आवेदन दर्शाता है कि आयातों में (2007-08) में 16 प्रतिशत से (जुलाई-सितंबर, 2019) में आयातों की तुलना में 54 प्रतिशत तक और उसी अवधि के दौरान खपत की तुलना में ***% से ***% तक स्वतंत्र रूप में (2007-08) में 4,452 मी.टन से (जुलाई-सितंबर, 2019 (वार्षिकीकृत)) तक 42768 मी.ट. वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि प्रशुल्क रियायत में वृद्धि के साथ, कोरिया से आयातों में वृद्धि हुई।
- ग. जहां तक पाटनरोधी जांच के संदर्भ का प्रश्न है महानिदेशक नोट करते हैं कि इसका वर्तमान जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह देखा जाता है कि पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी लेकिन यह संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण नहीं हुआ था। अतः महानिदेशक नोट करते हैं कि इस क्षति के लिए पाटित आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत कोरिया गणराज्य से आयातों को दी गई प्रशुल्क रियायतों के कारण ऐसा हुआ है। जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि इस उत्पाद की कीमत कच्चे माल की कीमत से निर्धारित होती, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं क्योंकि शुल्क की रियायत शुरू हुई थी और अगर इस उत्पाद की कीमत को केवल कच्चे माल की कीमतों से शासित किया गया होता तब यह संभव नहीं हुआ होता।

- घ. इस तर्क के संबंध में कि महानिदेशक को वर्तमान आयातों के कारण ही क्षति का निष्कर्ष निकालना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि इस नियम में यह उल्लेख नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण संबद्ध आयात भी होना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के प्रतिकूल, सीईपीए में यह प्रावधान है कि ऐसे आयात अकेले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे का वास्तविक कारण और न कि गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे का एकमात्र कारण होना चाहिए। इसके अलावा, इस करार के फुटनोट में यह प्रावधान है कि कोई भी निर्धारण कि एक मूल वस्तु का आयात इस करार के अंतर्गत प्रावधान किए गए सीमा शुल्क की कटौती अथवा उसकी समाप्ति के परिणामस्वरूप किया जा रहा है, तभी किया जाएगा यदि इस प्रकार की कटौती अथवा समाप्ति एक कारण है जो आयातों में वृद्धि में काफी हद तक योगदान करता है परंतु किसी अन्य कारण की तुलना में समान अथवा उससे अधिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कटौती अथवा समाप्ति या आयातों में वृद्धि के शुरु होने अथवा उसके समाप्त होने के बीच काफी समय बीत जाने के बाद अपने आप इस निर्धारण को नहीं रोकेगा।
- ड. आगे यह नोट किया जाता है कि इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या और किस सीमा तक शुल्क रियायतों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई, महानिदेशक ने आयातों की मात्रा और शुल्क रियायत की अवधि के पूर्व, प्रशुल्क की कटौती/समाप्ति की अवधि के दौरान और प्रशुल्क की समाप्ति के बाद के अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर विचार कर अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए इन आंकड़ों पर अतिरिक्त रूप से विचार किया है।
- यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति वास्तविक रूप से खराब हो गई है क्योंकि शुल्क रियायत में वृद्धि हुई। जबकि घरेलू उद्योग को पूर्व में लाभ हो रहा था जब यह उत्पाद प्रशुल्क रियायतों के अध्यक्षीन नहीं था, घरेलू उद्योग को अब कोरिया के निर्यातों को दी गई प्रशुल्क रियायतों के साथ वित्तीय हानि हो रही है।
- च. जहां तक घरेलू उद्योग की बढ़ती हुई मांग के साथ क्षमताएं न बढ़ाए जाने के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान याचिका में केवल प्रशुल्क रियायतों के निमित्त घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव के समाधान की ही मांग की गई है।
- छ. जहां तक समायोजन योजना का संबंध है, महानिदेशक नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद समायोजन योजना दी है। यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के चरण में केवल ऐसी सूचना जो जांच की शुरुआत के लिए संगत हो, पर विचार किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार से जबकि नियम 4(2)(ख) में समायोजन योजना के बारे में सूचना का प्रावधान है, महानिदेशक के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे जांच की शुरुआत करने के पूर्व समायोजन योजना पर विचार करें। इसके अलावा, यद्यपि आवेदन प्रोफार्मा में समायोजन योजना के बारे में सूचना अपेक्षित है, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के चरण में उक्त सूचना की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके अलावा यदि रक्षोपाय शुल्क अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाता है तब समायोजन योजना से संबंधित सूचना की अभी भी कोई संगतता नहीं होगी। इस प्रकार से समायोजन योजना के संबंध में सूचना जांच की शुरुआत के संबंध में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उक्त सूचना अंतिम निर्धारण के समय और न कि जांच की शुरुआत के चरण में महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के बाद कोई समायोजन योजना नहीं दी है।
- ज. महानिदेशक नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में अप्रैल, 2007 से मार्च, 2019 तक की अवधि के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरुआत का उत्तर देते हुए आवेदक ने सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों के पास संगत सूचना थी और अप्रैल, 2019 तक की अवधि के लिए सूचना पर टिप्पणी करने का अवसर था। महानिदेशक ने बड़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की जांच करने के लिए प्रयोजन से अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2019 तक की अवधि पर विचार किया है। तथापि, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि महानिदेशक के लिए इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में वृद्धि करार के तहत शुल्क रियायतों का परिणाम है और परिणामस्वरूप क्षति पहुँचा रहे हैं, महानिदेशक ने याचिका में निहित लंबी अवधि के लिए अर्थात् अप्रैल, 2007 से आंकड़ों का उपयुक्त रूप से संदर्भ दिया है। जुलाई-सितंबर, 2019 की अवधि को भी इस पर विचार करते हुए जोड़ा गया है कि यह एक रक्षोपाय जांच है और महानिदेशक ने

विगत में बाद की अवधि, जांच की शुरुआत के बाद की अवधि के लिए आंकड़े जोड़े हैं। हालांकि जांच की शुरुआत की तिथि पर विचार करते हुए, बाद की अवधि के लिए आंकड़े (अक्तूबर 2019-मार्च, 2020) पर भी विचार वर्तमान उद्देश्यों से नहीं किया गया है।

वर्ष	कोरिया से आयात	उत्पादन	बिक्री	बाजार हिस्सा		लाभ/हानि	आरओआई	कीमत में कटौती
				घरेलू उद्योग	कोरिया			
	मी.टन	मी.टन - प्रवृत्ति	मी.टन - प्रवृत्ति	% - प्रवृत्ति	% - प्रवृत्ति	लाख रु.- प्रवृत्ति	% - प्रवृत्ति	% - रेंज
2007-08	4,452	100	100	100	100	100	100	0-10%
2008-09	4,437	97	89	101	125	135	135	(10-0)%
2009-10	10,945	98	102	82	225	100	112	15-25%
2010-11	9,528	102	102	84	200	219	350	10-20%
2011-12	17,000	106	103	74	300	42	54	10-20%
2012-13	21,675	104	102	77	400	163	404	(10-0)
2013-14	45,509	109	103	68	725	44	51	(10-0)%
2014-15	34,755	136	134	85	525	-70	-26	(20-0)%
2015-16	23,876	151	145	86	350	-87	-30	2.5% - 12.5%
2016-17	26,459	157	147	84	350	-58	-18	15-25%
2017-18	46,344	153	145	77	600	-5	-2	2.5% - 12.5%
2018-19	48,658	164	146	75	600	-29	-9	2.5% - 12.5%
पहली तिमाही 2019-20	12,316	175	144	74	600	24	8	5%-15%
दूसरी तिमाही 2019-20	10,692	173	127	75	600	-42	-13	5%-15%

- ट. महानिदेशक नोट करते हैं कि भारत कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागित करार के साथ पठित भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार) द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय (नियमावली 2017 के अंतर्गत शुरु की गई एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार करते हुए, महानिदेश ने इस बात की जांच की है कि क्या इस करार के अंतर्गत और इस उद्देश्य से बढ़ा हुआ आयात प्रशुल्क रियायतों का परिणाम है, महानिदेशक ने अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2019 तक इस उत्पाद के आयातों पर विचार किया है। यह देखा जाता है कि आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्ट से तथा उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है क्योंकि शुल्क रियायतों में वृद्धि हुई है।
- ठ. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण वृद्धि हुई है, महानिदेशक नोट करते हैं कि आयात इस स्थिति में अपरिहार्य हैं जहां इस उत्पाद की मांग देश में उपलब्ध क्षमताओं से अधिक है। वर्तमान जांच का उद्देश्य आयातों पर प्रतिबंध लगाना अथवा उसे रोकना नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां इस उत्पाद की मांग भारत में क्षमताओं से अधिक है और देश में बहुत अधिक आयात हो रहे हैं, घरेलू उद्योग की कीमतें आयातों की पहुंच कीमत से प्रभावित होती हैं। कोरिया के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की न केवल बिक्री कीमत से कम है बल्कि अनेक देशों से आयात की कीमत से भी कम है। कोरिया से आयातों का हिस्सा 2017-18 से कुल आयातों का 50 प्रतिशत से अधिक था जो कोरिया से आयातों की मात्रा द्वारा प्राप्त प्रभावी स्थिति को दर्शाता है।
- ड. अप्रत्याशित घटनाक्रम के संबंध में तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि गैट के अनुच्छेद IXX के संदर्भ में अप्रत्याशित घटनाक्रम की अपेक्षा केवल वैश्विक रक्षोपाय उपाय के लिए है और यह द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच के

लिए लागू नहीं है। द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए, बढ़ा हुआ आयात प्रशुल्क में कटौती/रियायत के कारण होना है।

- ढ. कच्चे मालों की कीमतों में अस्थिरता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यह एक वैश्विक कारक है और यह केवल भारतीय बाजार तक ही नहीं है। कीमतों में आई अस्थिरता से कोरिया के उत्पादक भी प्रभावित हुए होते। कोरिया की कम कीमतों से प्रतिस्पर्धा से मुक्त बाजार में, अगर कच्चे माल की कीमत में आई स्थिरता आई होती तब घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को तदनुसार समायोजित किया होता। बल्कि घरेलू उद्योग को कोरिया से कम कीमत पर आयातों के मौजूद होने के कारण अपनी कीमतों का समायोजन करने से रोका गया था।
- ण. कीमत में काफी हद तक सकारात्मक कटौती हुई है और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी हद तक बदलाव आया है जिसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग कच्चे माल में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतों को रखने में सक्षम नहीं हुए हैं।
- त. महानिदेशक नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य, प्रस्तावित उपाय को सही परिपेक्ष्य में विचार किया जाना अपेक्षित है। व्यापार करार के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में कोरिया से आयातों को पूर्व में रियायत दी गई थी। व्यापार करार में रक्षोपाय शुल्क को लागू करने तथा इस करार में उल्लिखित कुछ शर्तों के अंतर्गत शुल्क रियायत को वापस लेने का प्रावधान है। इस प्रकार, वर्तमान जांच का उद्देश्य कोरिया के आयातों पर कोई अतिरिक्त प्रशुल्क नहीं लगाना है। यह उद्देश्य केवल इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या पूर्व में दी गई रियायत को वापस लिया जाना अपेक्षित है या नहीं अथवा यदि हां तो उसकी समयावधि क्या होगी। इसके अलावा, शुल्क को वापस लेने से या तो कोरिया अथवा अन्य देशों से भारत में आयातों को किसी प्रकार से नहीं रोकेगा अथवा उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। किसी भी स्थिति में, अन्य देशों से बहुत अधिक आयात हुआ है और इस कारण से माल की उपलब्धता किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगी।
- थ. महानिदेशक नोट करते हैं कि आयात इस स्थिति में अपरिहार्य हैं जहां इस उत्पाद की मांग देश में उपलब्ध क्षमताओं से अधिक है। वर्तमान जांच का उद्देश्य आयातों पर प्रतिबंध लगाना अथवा उसे रोकना नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां इस उत्पाद की मांग भारत में क्षमताओं से अधिक है और देश में बहुत अधिक आयात हो रहे हैं, घरेलू उद्योग की कीमतें आयातों की पहुंच कीमत से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार आयात की मात्रा अपने आप में नहीं है बल्कि आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की चिंता की बात है। यह नोट किया जाता है कि कुल मिलाकर कोरिया के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर कोरियाई आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में कम हो गई। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कोरिया की कीमतों के अनुरूप रखने के लिए बाध्य हो गया है और यह कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतों को पूर्ण से रखने में सक्षम नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग का क्षति हुई।
- द. इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या और किस सीमा तक उक्त रियायतों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई, महानिदेशक ने शुल्क रियायत की अवधि के पूर्व, प्रशुल्क में कटौती/समाप्ति की अवधि के दौरान और प्रशुल्क की समाप्ति की बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन और आयातों की मात्रा पर विचार कर अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए आंकड़ों पर अतिरिक्त रूप से विचार किया है। उपर्युक्त वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। पूर्ण दृष्टि से उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जबकि, कीमत में कटौती पूर्व में नकारात्मक थी, वह प्रगामी रूप से सकारात्मक हो गई है क्योंकि शुल्क रियायत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में बाजार हिस्से और लाभ के संदर्भ में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा, सबसे हाल की अवधि में, आयातों में आगे वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में उत्पाद, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा और लाभ/हानि में गिरावट आई है। इस प्रकार से, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट दर्शाई है जिसका प्रमुख कारण कोरिया से आयात है।
- ध. इस तर्क के संबंध में कि प्रारंभिक जांच परिणाम में आंकड़े यह दर्शा रहे हैं कि शुल्कों में कटौती के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई है, आसियान देशों और न कि कोरिया गणराज्य सीमा शुल्क की लागू दर से संबंधित थी, महानिदेशक नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम में, कोरिया पर लागू सीमा शुल्क पर

विचार क्षति की जांच के लिए किया गया था। हालांकि, तालिका में, आसियान देशों पर लागू सीमा शुल्क का संदर्भ असावधानी के कारण उल्लेख किया गया था जिसे अब इस जांच-परिणाम में ठीक कर लिया गया है।

- न. इस तर्क के संबंध में कि पूर्व के पाटनरोधी जांच में दायर की गई याचिका में आयातों की मात्रा और मौजूदा द्विपक्षीय रक्षोपाय अलग-अलग हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा पर विचार पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचार की गई आयात की मात्रा में कोई अंतर नहीं है।

ड.1 विचाराधीन उत्पाद

22. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 40022000 के तहत वर्गीकृत "पॉलीबुटाडीन रबर" है। पॉलीबुटाडीन रबर (जिसे आगे पीबीआर भी कहा गया है), एक सिंथेटिक रबर है जो मोनोमर 1, 3-बुटाडीन के पॉलीमेरिजेशन से निर्मित पॉलीमर है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से टायरों के निर्माण में किया जाता है और पॉलीस्टीरीन तथा एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन स्टायरीन जैसे प्लास्टिक की यांत्रिक ताकत में सुधार के लिए एडिटिव के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है।
23. यह उत्पाद पांच ग्रेडों में उत्पादित किया जाता है जिनमें उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक के आधार पर अंतर किया जा सकता है। इन ग्रेडों को नियोजनानियम, कोबाल्ट, निकिल, टाइटेनियम और लीथियम के रूप में अभिज्ञात किया जा सकता है। आवेदक ने उल्लेख किया है कि वह दो ग्रेडों अर्थात् टाइटेनियम और लीथियम का उत्पादन नहीं करता है। हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि नियोजनानियम ग्रेड को जांच के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने नियोजनानियम ग्रेड का उत्पादन और बिक्री की है और इस प्रकार नियोजनानियम ग्रेड को अलग करने के दावे में कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्व के पाटनरोधी जांच में इस पहलू की भी जांच की थी और नियोजनानियम ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया। हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने टाइटेनियम लीथियम ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने की मांग की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन ग्रेडों को प्रारंभिक जांच परिणामों के चरण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से पहले ही बाहर कर दिया गया था।
24. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, विचाराधीन उत्पाद का दायरा टाइटेनियम और लीथियम ग्रेडों को छोड़कर नियोजनानियम कोबाल्ट और निकिल ग्रेडों के एचएसकोड 40022000 के अंतर्गत वर्गीकृत "पॉलीबुटाडीन रबर" के रूप में रखा गया है।

ड.2 भारतीय उद्योग

25. द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय नियमावली 2017 के नियम 2(ख) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का अभिप्राय-

- (i) भारत के सीमा क्षेत्र में प्रचालित होने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के समग्र रूप से उत्पादक; अथवा
- (ii) वे उत्पादक जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के सामूहिक उत्पादन में उन सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात हो;

26. यह देखा जाता है कि आवेदक देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। अतः नियमावली के तहत आधार की अपेक्षा पूरी होती है और आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माना जाता है।

ड.3 जांच की अवधि

27. जांच की शुरुआत की सूचना में अधिसूचित किए गए अनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन से मानी गई अवधि अप्रैल, 2015 से जून, 2019 है। इसके अतिरिक्त चूंकि यह एक रक्षोपाय जांच है, अतः विगत परिपाटी को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक ने सबसे हाल की अवधि, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, होने के नाते सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

28. घरेलू उद्योग ने मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए आंकड़े दिए। हालांकि, महानिदेशक ने पहले ही सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं और उसे घरेलू उद्योग द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच-परिणामों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, इस जांच की शुरुआत अक्तूबर, 2019 में की गई थी। हालांकि, जांच की शुरुआत की बाद की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा कोई कारक नहीं है जो बाद की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार करने को न्यायोचित ठहराए। इस कारण से सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार वर्तमान जांच में नहीं किया गया है। इसके अलावा, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने चिंता व्यक्त की है कि क्या आयातों में रियायतों के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई और क्या घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में शुल्क रियायतों के कारण गिरावट आई है, महानिदेशक ने 2007-08 से इस अवधि के लिए आंकड़ों पर भी विचार किया है। महानिदेशक यह भी नोट करते हैं कि यह आंकड़ा आवेदन का हिस्सा था।

ड.4 गोपनीयता

29. नियमावली का नियम 6 की सूचना गोपनीयता से संबंधित है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर महानिदेशक ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। महानिदेशक ने सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराये।

ड.5 व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार के तहत सीमा शुल्क

30. व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (सीईपीए) के तहत रियायतों को ध्यान में रखते हुए पॉलीबुटाडीन रबर के आयातों पर सीमा शुल्क की दर निम्नलिखित है:

क्रम सं.	सीमा शुल्क अधिसूचना	अधिसूचना की तारीख	दर
1	सं.- 152/ 2009-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2009	10.94%
2	सं.- 137/ 2010-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2010	9.38%
3	सं.- 123/ 2011-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2011	7.81%
4	सं.- 066/ 2012-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2012	6.25%
5	सं.- 054/ 2013-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2013	4.69%
6	सं.- 035/ 2014-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2014	3.13%
7	सं.- 060/ 2015-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2015	1.56%
8	सं.- 066/ 2016-सीमा शुल्क	31 दिसंबर, 2016	0.00%

क्र.सं.	वर्ष	सीमा प्रशुल्क %
1	2007-08	10.00%
2	2008-09	10.00%
3	2009-10	10.24%
4	2010-11	10.55%
5	2011-12	8.99%
6	2012-13	7.42%
7	2013-14	5.86%

8	2014-15	4.30%
9	2015-16	2.74%
10	2016-17	1.17%
11	2017-18	0.00%
12	2018-19	0.00%
13	अप्रैल'19-जून'19	0.00%
14	जुलाई'19-सित'19	0.00%

ड.6 सूचना का स्रोत

31. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। महानिदेशक ने अपेक्षित विश्लेषण के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य के परिकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। 2007-08 से सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र में दी गई है और उस पर विचार भी जहां कहीं भी संगत और आवश्यक पाया गया, किया गया है।

ड.7 कोरिया गणराज्य से बढ़ा हुआ आयात

32. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क) नियमावली 2017 के नियम 2(ग) में उल्लेख है:

"बढ़े हुए आयातों" में कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि शामिल है, भले ही पूर्ण संदर्भ में हों अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में;

33. उपर्युक्त नियमावली में यह जांच अपेक्षित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात पूर्ण दृष्टि से अथवा सापेक्ष दृष्टि से इतनी मात्राओं में बढ़े कि वे "बढ़े हुए आयात" बने। महानिदेशक ने पूर्ण दृष्टि से और भारत में आयातों के संबंध में, भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में आयातों की जांच की। विचाराधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त नियमावली और सीईपीए नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

झ. कोरिया गणराज्य से पूर्ण दृष्टि से आयात

34. आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात की मात्रा	प्रवृत्ति	सीमा शुल्क
		मी. टन	सूचकांक	
1	2015-16	23,876	100	2.74%
2	2016-17	26,459	111	1.17%
3	2017-18	46,344	194	0.00%
4	2018-19	48,658	204	0.00%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	12,316	206	0.00%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	10,692	179	0.00%

35. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात इस अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं। 2017-18 में प्रशुल्क को पूर्ण रूप से समाप्त करने के साथ, कोरिया से आयातों में इस वर्ष में पूर्ण रूप से 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और वह उसके बाद उसी स्तरों पर रहा है।

ii. भारत में कुल आयातों के संबंध में आयात

36. कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	वर्ष	आयात मी. टन में			आयातों में हिस्सा	
		कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कुल आयात	कोरिया गणराज्य	अन्य देश
1	2015-16	23,876	39,702	63,578	38%	62%
2	2016-17	26,459	45,247	71,706	37%	63%
3	2017-18	46,344	38,744	85,088	54%	46%
4	2018-19	48,658	41,976	90,634	54%	46%
5	अप्रैल'19-जून'19	12,316	11,240	23,556	52%	48%
6	जुलाई'19-सित'19	10,692	9,281	19,973	54%	46%

37. यह देखा जाता है कि कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा बढ़ती हुई प्रशुल्क रियायत से इस अवधि में बढ़ा जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। प्रशुल्क की पूर्ण समाप्ति से कोरियाई आयातों ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों में प्रमुख हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि जब कई अन्य देशों से आयात सूचित किए जा रहे हैं तो सामूहिक रूप से उनका हिस्सा अकेले कोरिया के हिस्से से कम है।

iii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि

38. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध सामानों के आयातों का संचलन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम सं.	विवरण	कोरिया आयात	उत्पादन	मांग	के संबंध में आयात	
					उत्पादन	खपत
		मी. टन	मी. टन-प्रवृत्ति	मी. टन-प्रवृत्ति	%- प्रवृत्ति	%- प्रवृत्ति
1	2015-16	23,876	100	100	100	100
2	2016-17	26,459	104	106	106	105
3	2017-18	46,344	101	112	191	173
4	2018-19	48,658	109	116	187	175
5	अप्रैल'19-जून'19	12,316	116	117	178	176
6	जुलाई'19-सित'19	10,692	115	102	156	176

39. यह देखा जाता है कि कोरिया से आयात शुल्क रियायत में वृद्धि से भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़े।
40. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में आयातों, भारतीय उत्पादन और भारत में खपत की तुलना में काफी हद तक वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि इन आयातों में कोरिया के निर्यातों को दी गई पूर्ण रियायतों के साथ 2017-18 में काफी हद तक वृद्धि हुई।

ड.8 क्षति

41. गंभीर क्षति नियमावली के तहत निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

(च) **गंभीर क्षति** का अर्थ किसी घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि है; और

(छ) **"गंभीर क्षति के खतरे"** का अर्थ है कि वह गंभीर क्षति जो तथ्यों के आधार पर न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा सुदूर संभावना पर स्पष्ट रूप से आसन्न हो।

42. इस प्रकार आयातों में वृद्धि वह होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी समग्र हानि करें।

43. नियमावली के नियम 7 में आगे निम्नलिखित प्रावधान है:

महानिदेशक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा निर्धारित करेंगे, यथा:-

(क) महानिदेशक पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से मूल देश के सामान के आयातों में वृद्धि की दर तथा मात्रा, मूल के सामान के बड़े हुए आयातों द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन को विशेष रूप से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुपरक एवं मात्रात्मक सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे; और

(ख) इस नियम के तहत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जांच वस्तुपरक साक्ष्य के आधार पर मूल देश के सामान के बड़े हुए आयातों तथा उसकी गंभीर क्षति अथवा खतरे के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी न दर्शाए और जब मूल देश के सामान के बड़े हुए आयातों को छोड़कर कोई अन्य कारक साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों तो वह क्षति मूल देश के सामानों के बड़े हुए आयातों के कारण नहीं होगी।

44. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध मानदंडों का मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं पर विचार करने के लिए आवश्यक है। अतः महानिदेशक ने वर्तमान मामले के तथ्यों और उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी अथवा अन्यथा के तथ्य की जांच की है। गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में, इस नियमावली में उल्लिखित सभी तथ्य तथा अन्य कारक जो गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर विचार किया गया है। इस प्रकार, गंभीर क्षति का निर्धारण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

क. पूर्ण एवं सापेक्ष दृष्टि से आयातों में वृद्धि

45. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। यह भी देखा जाता है कि कोरिया से निर्यातों को दी गई पूर्ण रियायतों के साथ 2017-18 में आयातों में काफी हद तक वृद्धि हुई।

ख. क्षमता, उत्पादन क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री

46. क्षमता, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	क्षमता	उत्पादन	क्षमता उपयोग	घरेलू बिक्री	निर्यात
		मी. टन-प्रवृत्ति	मी. टन-प्रवृत्ति	%-प्रवृत्ति	मी. टन-प्रवृत्ति	मी. टन-प्रवृत्ति
1	2015-16	1,18,000	1,11,987	95%	1,09,310	100
2	2016-17	1,18,000	1,16,967	99%	1,11,225	77
3	2017-18	1,18,000	1,13,631	96%	1,09,152	103
4	2018-19	1,18,000	1,22,215	104%	1,10,176	203
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	29,500	32,483	110%	27,103	266
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	29,500	32,102	109%	23,969	397

47. यह देखा गया है कि:-

- क. घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप क्षमता के उपयोग में भी सुधार हुआ है। हालांकि, 2017-18 में आयातों में वृद्धि के साथ, उत्पादन में गिरावट आई। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि हुई।
- ख. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 2016-17 में उत्पादन के अनुरूप वृद्धि हुई। हालांकि 2017-18 में पूर्ण शुल्क रियायत और कोरिया से आयातों में परिणामी वृद्धि के साथ, घरेलू बिक्री में उत्पादन में गिरावट के साथ कमी आई और उसके बाद भारतीय खपत/मांग में वृद्धि के बावजूद उत्पादन में वृद्धि के अनुसार नहीं रह सकी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्री में सदृश्य वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि निर्यातों में वृद्धि घरेलू बाजार में इसके उत्पादों के लिए मांग के न होने के कारण है क्योंकि यह आयात शुल्क की समाप्ति के बाद घरेलू बाजार में अपना समग्र उत्पादन करने के लिए सक्षम नहीं रहा है।

ग. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

48. बाजार हिस्से का संचलन निम्नलिखित था:

क्रम सं.	विवरण	मांग में हिस्सा प्रतिशत – प्रवृत्ति			
		घरेलू उद्योग	अन्य देश	कोरियाई आयात	कुल
1	2015-16	100	100	100	100%
2	2016-17	96	108	105	100%
3	2017-18	89	87	173	100%
4	2018-19	87	91	175	100%
5	Apr'19-Jun'19	85	97	176	100%
6	Jul'19-Sep'19	86	92	176	100%

49. यह देखा जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। कोरियाई आयातों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा, 2017-18 में कोरिया के बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग और अन्य विदेशी बाजारों दोनों के हिस्से में गिरावट आई।

घ. रोजगार एवं उत्पादकता

50. रोजगार एवं उत्पादकता संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	प्रति दिन उत्पादकता	प्रति कर्मचारी उत्पादकता
		प्रवृत्ति-सं.	प्रवृत्ति-मी. टन/दिन	प्रवृत्ति-मी. टन/सं.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	97	104	107
3	2017-18	92	102	111
4	2018-19	89	109	122
5	अप्रैल'19-जून'19	89	116	130
6	जुलाई'19-सित'19	89	115	129

51. कर्मचारी की संख्या आयात शुल्क की तत्काल समाप्ति के बाद कम हुई है। तथापि, उत्पादकता के मानदंड के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई ह्रास नहीं है। तथापि आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इन आधारों पर कार्य-निष्पादन अनेक अन्य मानदंडों निर्भर है और आयात प्रतिस्पर्धा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है।

ड. मालसूची

52. मालसूची संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	विवरण	आरंभिक स्टॉक (मी. टन)- प्रवृत्ति	अंतिम स्टॉक (मी. टन)-प्रवृत्ति	औसत स्टॉक (मी. टन)-प्रवृत्ति
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	52	122	76
3	2017-18	63	68	65
4	2018-19	35	45	38
5	तिमाही 1- 2019-20	23	74	40
6	तिमाही 2—2019-20	38	121	66

53. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास पूर्व में उच्च स्तर की मालसूची थी। मालसूची के स्तर में मार्च, 2019 तक गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग में मालसूची उसके बाद एक बार फिर बढ़ी।

च. लाभ/हानि

54. लाभ संबंधी आंकड़े निम्नलिखित दर्शाते हैं:

क्रम सं.	वर्ष	लाभ/(हानि)		आरओआई
		कुल (लाख रु.)-प्रवृत्ति	प्रति यूनिट (रु./मी. टन)-प्रवृत्ति	%-प्रवृत्ति
1	2015-16	-100	-100	-100
2	2016-17	-67	-65	-59
3	2017-18	-6	-6	-6
4	2018-19	-33	-33	-29
5	अप्रैल, 19— जून, 19	28	28	26
6	जुलाई, 19 सितंबर, 19	-49	-55	-44

55. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद में काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वह उस समय विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्व में लाभ में था जब उत्पाद पर कोई शुल्क रियायतें नहीं थीं। तथापि, सीईपीए के तहत दी गई शुल्क रियायतों से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी समाप्त हो गई और घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानियां हो रही हैं। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के मद्देनजर महानिदेशक ने लागू सीमा शुल्क के साथ 2007-08 से आवेदन पत्र में दी गई लाभ/हानि संबंधी सूचना पर विचार किया है। यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग पूर्व में उस समय लाभ में था जब कोई रियायत नहीं थी या कम रियायत थी तथा घरेलू उद्योग को अब उस समय वित्तीय हानियां हो रही हैं जब कोरियाई आयातों को पूर्ण रियायतें हैं जैसा कि नीचे तालिका में दिखा गया है :

क्र.स.	वर्ष	कोरिया से आयातों पर सीमा शुल्क प्रतिशत	लाभ/हानि/रु./ मी.टन-प्रवृत्ति
1	2007-08	10.00%	100
2	2008-09	10.00%	151
3	2009-10	10.24%	98
4	2010-11	10.55%	216
5	2011-12	8.99%	41
6	2012-13	7.42%	159
7	2013-14	5.86%	43
8	2014-15	4.30%	-52
9	2015-16	2.74%	-60
10	2016-17	1.17%	-39
11	2017-18	0.00%	-3
12	2018-19	0.00%	-20
13	अप्रैल, 19—जून, 19	0.00%	17
14	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	0.00%	-33

छ. कीमत में कटौती

56. यह जांच की गई थी कि क्या कोरिया से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे और क्या ये आयात बाजार में सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए बेंच मार्क बन रहे थे। इस प्रयोजन से विभिन्न देशों जैसे कोरिया, जापान, आसियान और अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना एक दूसरे से तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की गई थी। महानिदेशक ने यह भी जांच की कि क्या कोरियाई आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। कोरियाई आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास के संदर्भ में की गई है।

क्रम सं.	वर्ष	पहुँच कीमत				घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत
		कोरिया गणराज्य	आसियान देश	जापान	अन्य देश	
		रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन	रु./मी. टन
1	2015-16	89,939	87,099	83,903	89,590	100
2	2016-17	1,14,176	1,21,863	99,444	1,08,450	145

3	2017-18	1,28,169	1,32,194	1,65,028	1,35,062	141
4	2018-19	1,33,118	1,34,850	1,35,202	1,36,999	150
5	अप्रैल, 19- जून, 19	1,08,887	1,09,597	1,22,086	1,20,920	124
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	1,08,909	1,10,581	1,16,364	1,16,611	123
7	अप्रैल, 19 – सितंबर, 19	1,08,897	1,10,024	1,18,620	1,18,921	124

क्रम सं.	वर्ष	पहुँच कीमत – सूचीबद्ध				घरेलू बिक्री कीमत
		कोरिया गणराज्य	आसियान देश	जापान	अन्य देश	
1	2015-16	100	97	93	100	100
2	2016-17	100	107	87	95	145
3	2017-18	100	103	129	105	141
4	2018-19	100	101	102	103	150
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	100	101	112	111	124
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	100	102	107	107	123

57. यह देखा जाता है कि जबकि पूर्व में शेष विश्व से आयात कीमत वे थीं, जो 2017-18 से कोरिया से आयात कीमत से कम अथवा बराबर थी, जब कोरियाई निर्यातों को पूर्ण शुल्क रियायत लाभ प्राप्त थे, कोरियाई कीमतें ही शेष विश्व से आयात कीमत से कम थीं। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि जबकि पूर्व में शेष विश्व से आयात कीमत वे थीं, जो 2017-18 से कोरिया से आयात कीमत से कम अथवा बराबर थीं, जब कोरियाई निर्यातकों को पूर्ण शुल्क रियायत लाभ प्राप्त थे, कोरियाई कीमत ही शेष विश्व से आयात कीमत से कम थी। इसके अतिरिक्त कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है जो इस प्रकार सिद्ध करती हैं कि घरेलू उद्योग और बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ता कोरिया गणराज्य से आयात कीमतों के साथ अपनी कीमतें निर्धारित करने हेतु मजबूर हुआ है।

58. कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है और इस प्रकार घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है।

क्रम सं.	वर्ष	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती
		रु./मी. टन –प्रवृत्ति	रु./मी. टन	रु./मी. टन	%-रेंज
1	2015-16	100	89,939	***	2.5% - 12.5%
2	2016-17	145	1,14,176	***	15-25%
3	2017-18	141	1,28,169	***	2.5% - 12.5%
4	2018-19	150	1,33,118	***	2.5% - 12.5%
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	124	1,08,887	***	5%-15%
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	123	1,08,909	***	5%-15%

59. निम्नलिखित तालिका कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत की तुलना दर्शाती है।

क्रम सं.	वर्ष	बिक्री की लागत	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत – कोरिया गणराज्य
		रु./मी. टन- प्रवृत्ति	रु./मी. टन-प्रवृत्ति	रु./मी. टन
1	2015-16	100	100	89,939
2	2016-17	132	145	1,14,176
3	2017-18	119	141	1,28,169
4	2018-19	131	150	1,33,118
5	अप्रैल, 19 – जून, 19	99	124	1,08,887
6	जुलाई, 19 – सितंबर, 19	112	123	1,08,909

60. यह देखा जाता है कि कोरियाई उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ही कम नहीं थीं, बल्कि वर्ष 2017-18 और अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही को छोड़कर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम थीं।

ड. क्षति संबंधी निष्कर्ष

61. यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप से भारत में कुल आयातों की तुलना में तथा भारतीय उत्पादन और खपत की तुलना में भी काफी हद तक वृद्धि हुई है। कोरिया गणराज्य से आयातों में काफी उछाल के परिणामस्वरूप और चूंकि शुल्क रियायत बढ़ गई थी, अतः घरेलू उद्योग को स्थिर बिक्री, गिरते हुए बाजार हिस्से, काफी वित्तीय हानियों और निवेश पर नकारात्मक आय के संदर्भ में गंभीर क्षति हुई है। विभिन्न मानदंडों के संबंध में घरेलू उत्पादक के निष्पादन पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को कोरियाई आयातों को दी गई शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हुई है जिससे कोरिया से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयात बढ़े।

च. कारणात्मक संबंध

62. ऊपर दिए गए अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। यह जांच की गई थी कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति शुल्क रियायतों तथा परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि के कारण है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के मद्देनजर कि महानिदेशक को इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या दावा की गई क्षति शुल्क रियायतों के कारण है अथवा किन्हीं अन्य कारकों से है, महानिदेशक ने उस अवधि सहित मंदी अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी विचार किया जब शुल्क रियायत नहीं थी। इस निमित्त संगत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र में निहित है जिसे हितबद्ध पक्षकार आवेदन पत्र के सार्वजनिक रूपांतर के माध्यम से भी देख सकते हैं।

क. यह जांच की गई थी कि क्या किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। महानिदेशक ने विभिन्न जांच मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए मानदंडों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को सूचित क्षति इस समय प्रचालित हो रहे अन्य कारकों की संभावित मौजूदगी के कारण नहीं है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कोरियाई आयातों को प्रशुल्क रियायतों में वृद्धि तथा उसके सीमा शुल्क की समाप्ति से काफी वृद्धि हुई है।

- ग. पूर्ण शुल्क रियायतों से कोरियाई आयातों की पहुँच कीमत शेष विश्व के आयातों की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। कोरियाई कीमतें भी सबसे कम होने के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतें निर्धारित कर रही थीं।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री शुल्क रियायतों के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए आयातों के अनुसार नहीं बढ़ी है। जबकि पूर्व में घरेलू बिक्री स्थिर रही, उसमें तब से हाल की अवधि में गिरावट आई है। इसके अलावा, कम अनुकूल कीमतों पर बढ़ते हुए निर्यात भारत में आयातों में वृद्धि के परिणाम हैं।
- घ. यद्यपि, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, तथापि,
63. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए कोरियाई आयातों के कारण हुई है और कोरिया से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क विद्यमान है।

छ. समायोजन योजना

64. आवेदक ने जांच प्रक्रिया के दौरान समायोजन योजनाओं के ब्यौरे दिए हैं। आवेदक ने बताया है कि वह कई कारणों से लागतें कम करने के निमित्त निर्देशित उपाय करेंगे। आवेदक ने उत्प्रेरक एवं रसायन लागत कमी, परिवर्तन लागत कमी, प्रसंस्करण दक्षता में सुधार, खपत मानदंडों में सुधार, परिवहन लागत में कमी, स्टॉक के आमूल-चूल परिवर्तन में सुधार आदि पर निर्देशित कार्यवाई योजना अभिज्ञात की है। महानिदेशक मानते हैं कि आवेदक ने आयात प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिए एक समायोजन योजना तैयार की है।

ज. जनहित

65. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से जनहित को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा क्योंकि अनेक अंतिम प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से कीमतों में वृद्धि होगी और आपूर्ति की कमी होगी और यह उपभोक्ता के हित के विरुद्ध होगा। देश में मांग और आपूर्ति में अंतर के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक एक प्रभावी स्थिति पैदा करेंगे क्योंकि यह एकमात्र उत्पादक हैं।
66. महानिदेशक नोट करते हैं कि वर्तमान शुल्क किसी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के प्रति निर्देशित नहीं हैं बल्कि पूर्व में दी गई रियायतों को वापस लेने वह भी केवल कोरिया से आयातों के संबंध में शुल्क लगाए जाने के प्रति निर्देशित है। अन्य सभी स्रोतों से आयात प्रस्तावित उपायों के द्वारा पूर्ण रूप से अप्रभावित हैं।
67. मांग को पूरा करने की अपर्याप्त घरेलू क्षमता की चिंताओं के संबंध में यह नोट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में कोरिया से आयात प्रस्तावित शुल्क के लगाए जाने के बाद भी सीमा शुल्क की एफएन दर पर उपलब्ध रहना जारी रहेगा। इसके अलावा, अन्य सभी स्रोतों से आयात भी सुगम रहेगा।
68. महानिदेशक नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से वर्तमान द्विपक्षीय शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप असहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हितबद्ध पक्षकारों ने केवल यह दावा किया है कि यह उत्पाद एक मध्यवर्ती उत्पाद है और शुल्कों को लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन पक्षकारों ने कोई संगत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके विरुद्ध घरेलू उद्योग ने टायरों की कीमतों पर प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के प्रभाव को तय किया है। यह देखा जाता है कि टायरों की अंतिम कीमतों पर प्रभाव बहुत मामूली है।

झ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

69. उपर्युक्त जांच के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है। द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने के संबंध में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के नियम 10 में निम्नलिखित उल्लेख है:

(1) महानिदेशक इस जांच की शुरुआत की तिथि से आठ महीने के भीतर अथवा जांच की शुरुआत की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक की बढ़ाई गई अवधि जिसे केन्द्र सरकार अनुमति दे, इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि क्या-

- (क) जांच के अधीन मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न किया है; और
- (ख) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती अथवा समाप्ति के कारण मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- (2) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क जो गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने तथा समायोजन को आसान बनाने के लिए पर्याप्त होगा, के संबंध में अपनी सिफारिश भी देंगे।
- (3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क की समय अवधि के संबंध में अपनी सिफारिशें भी करेंगे: बशर्ते कि जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो, महानिदेशक समायोजन को आसान बनाने के लिए पर्याप्त इसके लागू होने की अवधि के दौरान नियमित अंतरालों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क के प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश कर सकते हैं।

70. उपर्युक्त की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि:

- क. कोरिया से इस उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है और यह इस नियमावली तथा कोरिया-भारत सीईपीए के आशय से “बढ़ा हुआ आयात” है।
- ख. बड़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
- ग. कोरिया-भारत सीईपीए के अंतर्गत सीमा शुल्क की कटौती अथवा समाप्ति के कारण मूल वस्तु के बड़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं।

71. इस प्रकार भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक प्रतिभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली 2017 के नियम 10 के संदर्भ में द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की सिफारिश करना उपर्युक्त माना जाता है। तदनुसार, महानिदेशक भारत-कोरिया सीईपीए के प्रवेश के लागू होने की तिथि से ठीक पहले दिन की स्थिति के अनुसार संबद्ध वस्तुओं पर सीमा शुल्क की सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के लिए लागू दर अथवा द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के लागू होने की तिथि को संबद्ध वस्तुओं पर सीमा शुल्क की सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के लिए लागू दर इसमें से जो भी कम हो, के स्तर तक कोरिया गणराज्य के मूल के संबद्ध वस्तुओं (पोलीबुटाडीन रबर) जिसमें इसका टाइटेनियम और लिथियम ग्रेड शामिल नहीं है, के आयातों पर सीमा-शुल्क बढ़ाने की सिफारिश करते हैं। इस शुल्क की सिफारिश केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. 31/2020-सीमा शुल्क के माध्यम से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से नीचे दी गई तालिका के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए सिफारिश की जाती है।

वर्ष	द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क
प्रथम वर्ष	सीमा शुल्क की दर को बढ़ाकर सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की सीमा शुल्क की लागू दर का @100% के स्तर तक लाना।
द्वितीय वर्ष	सीमा शुल्क की दर को बढ़ाकर सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की सीमा शुल्क की लागू दर का @75% के स्तर तक लाना।

72. उपर्युक्त के अध्याधीन, दिनांक 12 मई, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 22nd October, 2020

Case No. SG-07/2019

Subject : Final findings of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Polybutadiene Rubber” from Korea RP under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.

F. No. 22/7/2019-DGTR.—BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Korea (hereinafter referred to as “CEPA”) and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the “Rules” or “Bilateral Safeguard Rules”) thereof, M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) filed an application before the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the “Director General” or “Authority”) in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of bilateral safeguard investigation concerning increased imports of Polybutadiene Rubber (hereinafter referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) from Korea RP (hereinafter referred to as “subject country”)
2. The Director General, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued notification number SG-07/2019 dated 7th November 2019, published in the Gazette of India, initiating the investigation in accordance with the Rules.
3. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard measures was examined. It was provisionally determined that critical circumstances existed which warranted imposition of provisional bilateral safeguard measures. Preliminary findings were issued vide Notification No. 22/7/2019-DGTR dated 12th May 2020, recommending imposition of provisional safeguard measures on the imports of subject goods originating in or exported from Korea RP. The Central Government vide Notification No. 31/2020-Customs dated 13th July 2020 imposed safeguard measures by eliminating the concessions given under the CEPA and increased the rate of custom duty to 10% on imports of subject goods originating in or exported from Korea for a period of 200 days.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation-
 - a. The Director General sent a copy of the initiation notification dated 7th November, 2019 to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers and other interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules.
 - b. Copy of the non-confidential version of the application filed by the Applicant was made available to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, Government of Korea through Embassy of Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules.
 - c. The Director General forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers / exporters in the subject country and provided

- them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules:
- i. Kumho Petrochemicals Ltd.
 - ii. LG Chem Ltd.
- d. In response to the questionnaire issued, both the producers/exporters filed exporter's questionnaire responses.
- e. The Director General sent Importer Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 5(5) of the Rules:
- i. J K Tyres Industries Ltd.
 - ii. Apollo Tyres Ltd.
 - iii. MRF Ltd.
 - iv. CEAT Limited
 - v. Birla Tyres
 - vi. Balkrishna Industries Ltd.
 - vii. Goodyear India Limited
 - viii. Continental India Ltd.
 - ix. Yokohama India Private Limited
 - x. Metro Tires Limited
 - xi. Ralson India Limited
 - xii. Treads direct Limited
 - xiii. Indag Rubbers Limited
- f. In response to the questionnaire issued, the following importers have filed importer questionnaire response:
- i. TVS Srichakra Limited
 - ii. Apollo Tyres Limited
 - iii. MRF Limited
 - iv. CEAT Limited
 - v. JK Tyre Limited
- g. The Director General also sent questionnaire to the domestic industry. The domestic industry filed its questionnaire response.
- h. The following interested parties filed submissions responding to the initiation notification:
- I. Korea Petrochemical Industry Association
 - II. Government of Korea
 - III. All India Rubbers Industries Association
 - IV. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
- i. Post issuance of the preliminary finding, comments were filed by the following interested parties:
- i. Government of Korea
 - ii. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
 - iii. Supreme Petrochem Limited

- j. After issuance of the preliminary findings, the Director General held an oral hearing on 20th August 2020 in terms of Rule 5(6) of the Rules, where opportunity was provided to all interested parties to present their views. Thereafter, all the interested parties were given opportunity to present their views in writing. Copy of the non-confidential version of written submissions filed by interested parties pursuant to the oral hearing were made available to other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
- k. Written submissions and rejoinders post oral hearing were filed by the following interested parties:
 - i. Government of Korea
 - ii. Korea Petrochemical Industry Association
 - iii. Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
 - iv. Supreme Petrochem Limited
 - v. All India Rubbers Industries Association – The association filed submission after the deadline. The submission has however been taken note of and considered in the present findings.
- l. The Director General made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- m. The Government of Korea availed the opportunity of consultations, which were held on 21st September, 2020. Concerns raised by the Government of Korea have been examined and addressed. Further, concerns raised by GOK were raised through written submissions earlier also, which have been duly considered and appropriately addressed in the present findings.
- n. The submissions made by the interested parties during the course of investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Director General in this final findings.

C. Submissions made by the applicant and other interested parties

C.1 Product under consideration

- 5. The submissions made by the applicant in respect of product under consideration are as follows: -
 - a. There are 5 types of Polybutadiene Rubber out of which Titanium and Lithium grades are not made by the domestic industry. Titanium grade of Polybutadiene Rubber has inferior quality and has become obsolete. Lithium Grade is used in plastic modification. The scope of product under consideration therefore does not cover these two grades.
 - b. A type/grade of the product can be excluded from the scope of investigation only when it is being imported and the domestic industry does not have the capacity of producing the particular grade. The domestic industry has the capacity to produce Neodymium grade and the same fact was verified by the Authority in the antidumping investigation and accordingly Neodymium Grade (Ndbr) had been included in the scope of product under consideration.
- 6. The submissions made by other interested parties in respect of product under consideration are as follows: -
 - a. Domestic industry does not produce Neodymium Grade (Ndbr) which has major imports from Korea RP. Even if produced, the product won't meet or pass industrial users quality certification. This product is limited in use for end-user, especially global tyre manufacturers.
 - b. Ndbr grade is neither substitutable nor like article to other Polybutadiene Rubber grades as it has applications in high performance tyres.
 - c. Domestic industry only once manufactured batch of Ndbr grade which was rejected by the user industry. Domestic industry never approached the user industry for sale of this grade.
 - d. Imposition of provisional duties on Lithium and Titanium grade PBR should be revoked.

- e. Non-mentioning of correct grades in the recommendation para has led to an unintended imposition of 10% custom duty on Polybutadiene Rubber of all grades. Authority is requested for amendment for exclusion of titanium and grades of PBR.

C.2 Domestic industry

- 7. The applicant has contended that it is the sole producer of the subject goods in India.
- 8. No submission has been made by other interested parties in respect of scope of the domestic industry.

C.3 Confidentiality

- 9. The submissions made by the applicant in respect of confidentiality are as follows: -
 - a. The adjustment plan is highly confidential and its disclosure would cause prejudice to its interest.
 - b. Parameters on which interested parties have sought disclosure are not even a part of the safeguard application.
- 10. The submissions made by other interested parties in respect of confidentiality are as follows: -
 - a. The non-confidential version of the application fails to meet the standards laid down in Trade notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which is applicable for all trade remedy investigations. The application does not allow for a reasonable understanding of the allegations contained therein.

C.4 Miscellaneous submissions

- 11. The submissions made by the applicant in respect of other miscellaneous issues are as follows: -
 - a. The period selected in the application is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports and injury thereof.
 - b. The period under consideration should include period of no concessions, period of tariff reductions and period of post-tariff elimination to ascertain whether the injury to the domestic industry is as a result of duty concessions.
 - c. With regard to adjustment plans, the domestic industry has submitted that it is taking measures to reduce costs. The domestic industry has given an adjustment plan which includes action on catalyst & chemicals cost reduction, conversion cost reduction, improvement in process efficiency, improvement in consumption norms, reduction in transportation costs, improvement in turnaround of stocks, etc. Since domestic industry competes with imports on the basis of landed price of imports at the premises of the customer, the company shall become competitive vis-à-vis Korean imports in a period of four years.
 - d. In the anti-dumping investigation, imports from Korea RP were at undumped prices due to which the investigation was terminated against Korea.
 - e. It was admitted by other interested parties in the anti-dumping investigation that decrease in landed value of goods from Korea RP was completely reflective of Free Trade Agreement concessions.
 - f. Measures for a minimum period of 4 years will allow the domestic industry to put its adjustment plan into full effect.
 - g. Quarterly data was submitted in annualized form in order to ensure proper comparison with previous data.
 - h. It has not been established how initiation would have been different had information about adjustment plan been filed earlier.
 - i. Article XIX provides that reason for increase in imports in a general safeguard investigation has to be unforeseen developments including tariff concessions.
 - j. If GOK had issues with regard to intimation sent to them or about the notice of initiation, they should have raised this concern in its preliminary submissions and not at this stage of investigation.

12. The submissions made by other interested parties in respect of other miscellaneous factors are as follows: -
- a. The Applicant must share revised data based on the period as determined by the Director General i.e. April 2015 to June 2019.
 - b. The adjustment plan is excessively confidential and does not satisfy the requirement of submission at the pre-initiation stage.
 - c. The investigation must be terminated on the ground that Applicant has not submitted any adjustment plan as is mandatorily required to be provided under Article 2.23 (g) of the Korea – India CEPA and Rule 4(2) b of the Rules.
 - d. Rule 4(2) (b) of the Bilateral Safeguard Rules requires the petitioner to compulsorily file adjustment plan. In the absence of adjustment plan, duty imposition was not recommended by the Director General in general safeguard investigations relating to Phthalic Anhydride (PAN), Cold Rolled Flat Products, Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium and Flexible Slabstock Polyol.
 - e. Article XIX of GATT 1994 requires unforeseen developments which could have led to increase in imports which the Applicant has failed to address in the petition. Further, increase in imports cannot be held as unforeseen developments as held by panel in Argentina – Preserved Peaches case.
 - f. The current circumstances of the Indian domestic industry do not qualify for critical circumstances requiring imposition of provisional safeguard measures as per Article 2.24 of Korea – India CEPA.
 - g. The data provided by the Applicant in the petition does not contain any data for period April - June 2019.
 - h. The presentation of data from 2007-08 for indexation has led to inaccurate representation of developments in the domestic market.
 - i. The Applicant has not brought forward sufficient evidence to prove the conditions for initiation of the bilateral safeguard investigation. Conditions laid down in Article 2.22 are not satisfied.
 - j. The preliminary findings are based on data from Q1 and Q2 of FY 2019- 20. The domestic industry had shared only the annualized figures for the said period through questionnaire response.
 - k. The applicant has not filed any updated application for the revised period of investigation.
 - l. As required under Rule 5(1) (c), the Director General has not stated summary statement of facts in the initiation notification on which the allegation of serious injury or threat of serious injury was based.
 - m. As per Appellate Body Report in Argentina Footwear and US – Steel Safeguard, trend of imports is required to be considered for the entire period.
 - n. Inclusion of data for quarter 3 and quarter 4 of 2019-20 would be incorrect as the period is neither a part of period of investigation or initiation notification.
 - o. Importer questionnaire response of JK Tyre and ATMA has not been considered by the Director General which is violation of due process and has in some cases been a ground for reconsideration or setting aside of judgement/order.
 - p. Director General in past had recommended duties only for 1-2 years which were subject to review.
 - q. Domestic industry has not been able to establish a prima facie evidence of critical circumstances.
 - r. Examination of critical circumstances must be based on data for quarter 3-4 of 2018-19.
 - s. It is inappropriate to invoke preliminary safeguard measure after significant passage of time.

C.5 Increased imports from Korea RP

13. The submissions made by the applicant in respect of increased imports from Korea RP are as follows: -
- a. The imports of the product under consideration show significant increase over the period with increase in duty concession.
 - b. In the last 12 years, the imports have increased by around 1093 times due to the concessions given under CEPA. Further, with custom duty becoming zero, the imports have doubled in the last 3 years.
 - c. The share of the subject imports in the demand has increased from 4% to 24% while that of the domestic industry has declined from 73% to 55%.
 - d. The volume of imports has increased more in the quarter 1 and quarter 2 of the 2019-20.
 - e. Volume of imports have continued to remain significantly high even in the 3rd and the 4th Quarter of 2019-20.
 - f. Concessions have been granted to imports from other countries as well. However, imports from other countries have not seen a similar increase.
 - g. Imports in relation to production and consumption have increased by 424% and 404% as compared to 2007-08.
 - h. In order to examine whether the imports have increased as a result of tariff concession, it is necessary to observe the trend of the volume of imports during pre-duty reduction phase, duty reduction phase and post- duty elimination phase.
 - i. Imports from other countries have increased in line with the demand but increase in imports from Korea RP is over and above the demand in India.
 - j. Transaction-wise data has been provided to ascertain the volume of imports.
 - k. Data for the period of investigation was filed with the domestic industry questionnaire response.
 - l. Merely because there is inadvertent reference to customs duty from some other country, it does not follow that the conclusion drawn by the Director General is incorrect. The Director General had provided rate of duties in the preliminary finding.
14. The submissions made by other interested parties in respect of increased imports from Korea RP are as follows: -
- a. The domestic industry does not have the ability to meet the domestic demand. The imports from Korea RP have increased with the increase in demand.
 - b. The alleged increase in imports is not a result of the reduction or elimination of the duties under the Korea-India CEPA.
 - c. There has been no recent, sudden, sharp, and significant increase in Korean imports of PBR into India
 - d. Any alleged increased imports of PBR have not caused serious injury or threat thereof
 - e. The rate of increase in imports from ASEAN countries is higher than rate of imports from the subject country.
 - f. The major reason contributing towards the increase in the imports should be the reduction or elimination of tariffs on that article pursuant to the CEPA. However, in the present investigation, the same is missing.
 - g. There has been a consistent decline in the rate of custom duty since 2010 but the imports from subject country did not increase at the same rate. Further, the increase in imports is due to increase in demand.
 - h. The imports from other countries have increased at a faster rate as compared to imports from Korea RP.

- i. There has been an increase in imports from ASEAN countries sharper as compared to subject imports.
- j. As per Article 3.1 of the Agreement on Safeguards, there must be a reasoned and adequate explanation which demonstrates the connection between the reduction of the duty and the alleged increase in imports. Director General should identify and provide a reasoned explanation and demonstration of the same.
- k. There is no sudden, significant or sharp increase in the imports as per the language of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards.
- l. As per Article 2.22 of CEPA, the increase in imports should be a substantial cause of injury. However, the imports have also increased due to demand and supply gap.
- m. The domestic industry does not have the ability to meet the domestic demand. The imports from Korea RP have increased with the increase in demand.
- n. Volume of imports in 2013-14 was 45,509 MT when duty was reduced to 5.86% and when duty was reduced to 0% in 2018-19 the imports were 48,658 which shows that there is no correlation in imports and duty.
- o. Decrease in duties was accompanied by the increase in domestic demand, as there is demand-supply gap in India. Domestic industry can cater only 65% of the demand.
- p. Volume of imports in the petition filed in the previous anti-dumping investigation and current Bilateral Safeguard are different. Domestic industry is misleading the Authority.
- q. Director General must perform a quantitative assessment of causation in order to ascertain various other causes which contributed to increase in imports.

C.6 Injury

15. The submissions made by the applicant in respect of injury are as follows: -

- a. The demand for the subject goods has increased over the period with a slight decline in 2008-09.
- b. The Korean producers are price setters in the market and the domestic industry and imports from other countries are forced to follow the pattern of the pricing set by them.
- c. The domestic industry is unable to increase the selling prices to the extent of the cost of sales. The present low prices are only because of the low prices of the subject country imports.
- d. The industry has been suffering financial losses since 2014-15.
- e. The adverse volume impact on the performance of the domestic industry can be seen from the fact that the industry has not been able to sell the product in the domestic market and been forced to focus on less profitable exports.
- f. The inventory of the domestic industry has risen.
- g. Had there been no duty concessions, the landed value would have been higher and the domestic industry would have earned profits.
- h. Korean producers were already enjoying benefits of huge capacities and low freight cost. Concessions have completely handed over the Indian market to them.
- i. The domestic industry envisaged to sell its expanded capacity in the domestic market but was forced to undertake exports with much lower profitability.
- j. Healthy production of the domestic industry is in view of the production and pricing policy followed by the company. However, domestic sales as a percentage of production is steeply falling and have continued to remain impacted in the 3rd and 4th quarter of 2019-20.
- k. Domestic industry is forced to face either inventory pile up or look for consumers in the international market to dispose of its production.
- l. Decline in market share of the domestic industry continued even in 3rd and 4th quarter of 2019-20.

- m. Imports were made in India from 22 countries in the year 2019- 20 but their collective share is less than the share of Korea RP.
 - n. The capacity utilization of the domestic industry is required to be seen with the demand in the country.
 - o. If Global producers are suffering because of creation of capacities beyond their domestic demand, it is their problem and domestic industry cannot suffer because of higher capacities created by the global producer.
 - p. Continuous losses suffered by the domestic industry is itself a sufficient reason why the duty concession should be removed.
 - q. Continuous losses suffered by the sole producer puts availability of the domestically produced subject goods into question in the long run and may lead to the users being completely at the mercy of exporters particularly from Korea.
 - r. Landed price was lower than cost of production of the domestic industry for all the periods except year 2017-18 and April 2019 – June 2019.
 - s. The argument that domestic industry benchmarks its prices 10% above import price proves that imports are benchmarking the prices.
 - t. The domestic industry is suffering continuous losses and is losing market opportunities. Therefore, there is no basis in the contention that there is improvement in performance of domestic industry.
 - u. The domestic industry has transferred the raw material at market price and therefore there is no basis to deduct profit on captive inputs to arrive at fair price.
16. The submissions made by other interested parties in respect of injury are as follows: -
- a. In the Anti-Dumping investigation on the subject imports, the Authority had concluded that the injury caused was not due to dumping. Therefore, with improved performance, there can be no serious injury now.
 - b. There is no serious injury or threat of serious injury as defined by the section 8B(6)(c) and (d) of the Act and the Article 4.1 (a) of Agreement on Safeguards. In fact, the performance of the domestic industry has improved.
 - c. The Director General had not recommended duty in Non-Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium, Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series, Bare Elastomeric Filament Yarn where the performance of industry had improved. The same fate should follow in the present case.
 - d. The performance of the domestic industry has improved with the reduction in the custom duties.
 - e. Data in the preliminary findings which shows that reduction in duties led to the corresponding significant injury to the domestic industry pertains to the applicable rate of customs duty from ASEAN Countries and not Korea RP. The prices of the product are set in accordance with the prices of butadiene. Therefore, the fall in prices cannot be attributed to import price.
 - f. Korea's recent export of polybutadiene rubber to India from January to September 2019 has decreased by 13%.
 - g. The market share of the domestic industry is not growing due to the inability of the domestic industry to provide a reasonable alternative to the imported goods and its low capacity to fulfil the demand.
 - h. The economic performance of the domestic industry has seen a positive growth. All relevant parameters such as market share, production, productivity, capacity utilization, sales, profits and losses and employment have shown a positive trend.
 - i. The performance of the domestic industry has improved. In the recent anti-dumping investigation on the subject goods, the Authority had concluded that the injury was not due to

dumping. Therefore, the Applicant could not have suffered injury in the current investigation when its performance improved.

- j. The capacity utilization of the DI is much higher than the global capacity utilization rate (which is at 76% in the recent period).
- k. According to the annual report of the domestic industry, it has achieved highest ever production in PBR during the FY 2019-2020.
- l. Performance of the domestic industry improved in term of loss per unit, cash losses, profit before interest and tax and return on investment.
- m. Domestic demand decreased by 5% in 2019-20 despite which domestic industry was able to maintain its market share.
- n. Landed prices of imports from Korea RP were not below the selling price of the domestic industry in the year 2017- 18 and Q1 2019-20 which shows that it was not a reason of price injury to the domestic industry.
- o. Domestic industry enters into an annual procurement plan with its buyers in which it charges a 10% mark-up on the prices of the subject goods.
- p. The Authority has in past terminated investigations wherein economic parameters depicted improvement and injury to the domestic industry was not established due to alleged imports.
- q. If low prices were the determining factor for the imports from Korea, imports would not have reduced even when the domestic industry expanded its capacity.
- r. Imports from other countries such as Malaysia, Saudi Arabia, Germany, China and Italy could be sold despite the prices from these countries being higher than Korean prices but the domestic industry is alleging that it could not sell.
- s. Domestic Industry losses actually reduced in 2017-18 when the maximum applicable tariff concessions were accorded to imports from Korea RP.
- t. Imports from ASEAN countries should not be grouped together in the price undercutting analysis.
- u. Domestic industry started facing injury in the 2014-15 but the imports from Korea declined in these years.
- v. Mere reference to the current landed price compared to the period when there were no concessions does not show that if concessions were removed the domestic industry would be able to sell at higher prices.
- w. The domestic industry had to undertake exports because of its inferior quality.
- x. Around 84-95% of the production of the domestic industry was sold in the domestic market; and therefore, the claim that it was forced to exports is wrong.
- y. Net selling price is not relevant for examining price injury to the domestic industry and instead it should the cost of production and the fair selling price which should be considered. Fair selling price was considered relevant by the Authority in various safeguard investigation in past.

C.7 Causal Link

17. The submissions made by the applicant in respect of causal link are as follows: -

- a. Imports from ASEAN countries are much lower in volume as compared to imports from Korea RP and the share is quite low to have any impact on the performance of the domestic industry.
- b. The landed price of imports from ASEAN countries is above the landed price of imports from Korea and therefore cannot be a cause of injury.
- c. Capacity is lower than the demand, therefore, fall in demand cannot be a cause of injury.
- d. The domestic industry has procured the raw material captively and therefore fluctuations in global prices would not have impacted its cost.

- e. Fluctuation in butadiene prices justifies removal of concessions in order to allow domestic industry to adjust prices.
 - f. Domestic industry's depreciation and interest cost has declined therefore injury cannot be due to other factors.
 - g. Respondents have raised baseless issues with regard to injury to the domestic industry and no concrete evidence has been provided by them.
 - h. Collective share of imports from the 5 countries (Malaysia, Saudi Arabia, Germany, China and Italy) are less than 1/3rd of the imports from Korea RP alone. Korean imports have benchmarked the prices due to which other imports are also suffering.
 - i. It is not necessary that the imports may have an immediate and proportionate impact on the performance of the domestic industry.
 - j. Any analysis with regard to concessions given under the ASEAN agreement is required to be seen for all the countries under ASEAN as a whole.
 - k. Authority had never concluded in the past that the cause of injury to the domestic industry was the raw material prices.
18. The submissions made by other interested parties in respect of causal link are as follows:
- a. In compliance with the Article 4.2(b) of the Agreement and Rule 7 of the Rules, the Director General is required to examine causal link between the increase in imports and injury and do the non-attribution analysis.
 - b. Korean imports of PBR have not alone constituted a substantial cause of serious injury to the domestic industry
 - c. The increased cost is due to the Applicant transferring the raw material at costs higher than the actual cost.
 - d. There is absence of causal link in the investigation. The Authority should examine causal link and perform non attribution analysis.
 - e. Domestic industry in post oral hearing submission of the anti-dumping investigation had stated that injury to the domestic industry was solely on account of dumping of product under consideration from the subject countries and there was no other factor causing injury to the domestic industry.
 - f. The fluctuation in the domestic selling price of the domestic industry is solely due to the massive fluctuation in Butadiene prices globally.
 - g. Imports from Singapore, UAE and USA are at prices lower than Korean landed value.
 - h. Imports from Singapore enjoyed 15.2% market share in 2018-19. Applicants have not provided reason on why significant imports from Singapore do not dictate prices.
 - i. Domestic industry is suffering from other internal issues such as losses due to fluctuation of raw material prices, increase in depreciation of capital investments, high loan balances and the balance sheet being skewed due to heavy capital investments made by the domestic industry in the petro-chemical sector.
 - j. Authority has to first distinguish the effects caused by different factors and then attribute the injurious effects caused by increased imports in question on one hand and by other factors on the other.
 - k. The authority mentioned in the previous anti-dumping investigation that there is no causal link between the imports from subject countries and injury to the domestic industry when parameters of injury during 2015-16 were rather worse.
 - l. Injury was found to have been caused as a result of raw material costs in the anti-dumping investigation.
 - m. Merely because the imports from ASEAN countries were lower than Korean imports, it does not imply that they cannot cause injury.

C.8 Public interest

19. The submissions made by the applicant in respect of causal link are as follows: -
- Measures will only remove the unfair advantage gained by the Korean producers due to tariff concessions.
 - Restoration of duties back to most favoured nation rate of duty will allow competition to flourish in the domestic market.
 - Imports will still continue to be made from all sources including Korea RP and the domestic industry would be forced to compete with the imports.
 - Public interest is not confined to consumer industry alone and covers in its ambit the domestic industry of product under consideration as well.
 - Impact on the prices of tyres is insignificant in case duties from Korea RP are restored to MFN level.
 - Argument that withdrawal of duty concession will create barrier for imports is a figment of imagination of interested parties.
20. The submissions made by other interested parties in respect of causal link are as follows:
- Since the Applicant is the only producer of the subject goods, the imposition of the duty will not be in public interest. The Applicant would create dominant position for itself in the market and create barriers for new entrants.
 - In past public interest has been examined and investigations have been terminated where imposition of Safeguard Duty was not in the public interest. The domestic industry would abuse its dominant position in the market.
 - Imposition of safeguard measures would significantly drive up the prices and cause shortages of essential supplies required by the downstream industry – this includes the domestic tyre manufacturing industry and other end-users.
 - Concessions given under the CEPA were granted after considering public interest by respective countries and therefore cannot be considered to give unfair advantage.
 - Tyre industry is a major part of Indian economy and duties of 10% would hamper its competitiveness.

D. EXAMINATION BY THE DIRECTOR GENERAL

21. The information made available by the interested parties in their submissions, have been considered by the Authority for the purpose of the present findings...Further, the Authority notes that different interested parties have advanced similar arguments, albeit in different manner and language. The Authority has examined and addressed the submissions in the present findings. The examination herein below in respect of increase in subject imports, serious injury and causal link ipso facto deals with the submission of applicants and other interested parties.

Further, the Authority notes as follows with regard to contentions advanced by the interested parties:

- As regards imports from other ASEAN countries, it is seen that the volume of imports in absolute terms from individual countries is low and landed price of imports from these countries is higher than the landed price of imports from Korea.
- The interested parties have contended that the volume of imports has not increased with increase in tariff concession. The Director General, therefore, examined imports of the product under consideration before tariff concession, during the period of tariff concession and post-elimination of tariff. Relevant information is contained in the application. It is seen that as the concession increased, the volume of imports from Korea increased. The application shows that the imports increased from 4,452 MT in (2007-08) to 42,768 MT in (July-Sep.19 (A)) in absolute terms, from 16% (2007-08) to 54% (July-Sept19) in relation to imports and from **% to **% in relation to consumption over the same period. It is noted that with the increase in tariff concession, the Korean imports increased. .

- c. As regards reference to the anti-dumping investigation, the Director General notes that it has no bearing on the present investigation. It is seen that in the anti-dumping investigation, the Authority had noted that there was injury to the domestic industry, but it was not on account of dumped imports from subject countries. The Director General, therefore, notes that injury is not attributable to dumped import but on account of tariff concessions granted to imports from Korea RP under India-Korea CEPA. As regards the contention that the price of product is set by raw material price, it is noted that the profitability of the domestic industry has undergone drastic changes over the period since the duty concession started and this would not have been possible had the price of the product been governed solely by the raw material prices.
 - d. With regard to the contention that the Director General must find injury solely due to present imports, it is noted that the rule does not state that the sole cause of injury to the domestic industry should be subject imports only. It is noted that contrary to the claim made by some interested parties, the CEPA provides that such imports alone should constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to domestic industry producing like or directly competitive good, not the sole cause of serious injury or threat thereof. Further, footnote to the Agreement provides that a determination that an originating good is being imported as a result of the reduction or elimination of a customs duty provided for under this Agreement shall be made only if such reduction or elimination is a cause which contributes significantly to the increase in imports, but need not be equal to or greater than any other cause. The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination.
 - e. It is further noted that in order to determine whether and to what extent duty concessions have caused injury to the domestic industry, the Director General has additionally considered the data for longer period by considering the volume of imports and performance of the domestic industry prior to duty concession period, during tariff reduction/elimination period and during post tariff elimination period.
- It is noted that the financial situation of domestic industry has materially deteriorated as the tariff concession increased. Whereas the domestic industry was earlier earning profits when the product was not subject to tariff concessions, the domestic industry is now suffering financial losses with the tariff concessions granted to Korean exports.
- f. As regards the issue raised by some interested parties about the domestic industry not increasing capacities with rising demand, it is noted that the present petition merely seeks redressal of the adverse price effect on the domestic industry on account of tariff concessions.
 - g. As regards adjustment plan, the Director General notes that the domestic industry has given an adjustment plan post-initiation of investigation. It is noted that at the stage of initiation, only such information, as is relevant for initiation, is required to be considered. Thus, while Rule 4(2)(b) provides for information on adjustment plan, it does not require the Director General to consider adjustment plan before initiating the investigation. Further, even though the application proforma requires information on adjustment plan, it is noted that the said information is of no utility at the stage of initiation. Further, information on adjustment plan would still not have been of relevance, if safeguard measures is imposed for a period not exceeding one year. Thus, information on adjustment plan was not critical for a decision on initiation. The said information is relevant at the time of final determination, and not at the stage of initiation. The domestic industry in any case has given an adjustment plan, after initiation of investigation.
 - h. The Director General notes that the application contains data for the period April, 2007 to March, 2019. Further, while responding to initiation, the applicant has provided data for the period up to Sept, 2019. Thus, the interested parties had access to the relevant information and an opportunity to comment on the information for the period from April, 2007 to Sept., 2019. The Director General has considered the period from April, 2015 to Sept, 2019 for the purpose of examining increased imports and serious injury to the domestic industry. However, since the interested parties have contended that the Director General is required to consider whether the increase in import is as a result of tariff concessions under the Agreement and are consequently causing injury, the Director General has suitably referenced the data for longer period i.e. since

April, 2007 as contained in the petition. The period July-September 2019 has also been added considering that this is a safeguard investigation and the Director General in the past has added data for subsequent period, post-initiation of investigation. However, considering the date of initiation, data for the subsequent period (October 2019 – March 2020) has not been considered for the present purposes.

Year	Korea Imports	Production	Sales	Market share		Profit/loss	ROI	Price Under-cutting
				Domestic industry	Korea			
	MT	MT - trend	MT - trend	% - trend	% - trend	Rs. Lacs - trend	% - trend	% - Range
2007-08	4,452	100	100	100	100	100	100	0-10%
2008-09	4,437	97	89	101	125	135	135	(10-0)%
2009-10	10,945	98	102	82	225	100	112	15-25%
2010-11	9,528	102	102	84	200	219	350	10-20%
2011-12	17,000	106	103	74	300	42	54	10-20%
2012-13	21,675	104	102	77	400	163	404	(10-0)
2013-14	45,509	109	103	68	725	44	51	(10-0)%
2014-15	34,755	136	134	85	525	-70	-26	(20-0)%
2015-16	23,876	151	145	86	350	-87	-30	2.5% - 12.5%
2016-17	26,459	157	147	84	350	-58	-18	15-25%
2017-18	46,344	153	145	77	600	-5	-2	2.5% - 12.5%
2018-19	48,658	164	146	75	600	-29	-9	2.5% - 12.5%
Q1 2019-20	12,316	175	144	74	600	24	8	5%-15%
Q2 2019-20	10,692	173	127	75	600	-42	-13	5%-15%

- i. The Director General notes that the present investigation is a bilateral safeguard investigation initiated under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 read with India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Considering the arguments of the interested parties, the Director General has examined whether increased imports are a result of tariff concessions under the agreement and for this purpose, the Director General has considered imports of the product from April, 2007 to Sep., 2019. It is seen that volume of imports has increased in absolute terms and in relation to production and consumption as the tariff concessions have increased.
- j. As regards the contention that imports have increased due to demand supply gap, the Director General notes that imports are inevitable in a situation where the demand for the product is higher than the capacities available in the country. The purpose of the present investigation is not to ban or restrict the imports. However, in a situation where the demand for the product is higher than capacities in India, and there are significant imports into the country, the domestic industry prices get impacted by the landed price of imports. The landed price of Korean imports is lower than not only the selling price of domestic industry but also import price from several countries. The share of imports from Korea was more than 50% of total imports from 2017-18 showing dominant position gained by Korean imports volume.
- k. As regards the contention in respect of unforeseen development, it is noted that the requirement of unforeseen development in terms of Article XIX of GATT is for global safeguard measures only and it is not applicable for bilateral safeguard investigation. For initiation of bilateral safeguard investigation, the increased import has to be on account of reduction/ concession in tariff.
- l. As regards the volatility in the prices of raw materials, it is noted that it is a global factor and not peculiar to Indian market only. The fluctuation in the prices would have affected the Korean producers as well. In a market free from competition with Korean low prices, had there

been a fluctuation in the price of the raw material, the domestic industry would have adjusted its prices accordingly. But the domestic industry was prevented from adjusting its prices because of the presence of low-priced imports from Korea. There is significantly positive price undercutting and profitability of the domestic industry has significantly changed, which implies that the domestic industry has not been able to align its prices with raw material changes.

- m. The Director General notes that the purpose of the present investigation, the measure proposed is required to be considered in right perspective. A concession was earlier given to imports from Korea, in a phased manner, under the trade agreement. The trade agreement provides for invoking safeguard measures and withdrawal of duty concession under certain conditions specified in the agreement. Thus, the objective of the present investigation is not to impose any additional tariff on the Korean imports. The purpose is to only consider whether or not the concession given earlier is required to be withdrawn, and if so, duration thereof. Besides, withdrawal of concession would in no way restrict or prohibit imports into India, either from Korea or from other countries. In any case, there are significant imports from other countries and therefore the availability of the material will not be restricted in any manner.
- n. The Director General notes that imports are inevitable in a situation where the demand for the product is higher than the capacities available in the country. The purpose of the present investigation is not to ban or restrict the imports. However, in a situation where the demand for the product is higher than capacities in India, and there are significant imports into the country, the domestic industry prices get impacted by the landed price of imports. Thus, it is not import volume per se, but the price of imports that is the concern of the domestic industry. It is noted that the landed price of Korean imports by and large became lower than the landed price of non-Korean imports and selling price of the domestic industry. Thus, the domestic industry has been forced to align its prices to the Korean prices and was not able to fully align its prices to the changes in the raw material prices, leading to injury to the domestic industry.
- o. It is further noted that in order to determine whether and to what extent duty concessions have caused injury to the domestic industry, the Director General has additionally considered the data for longer period by considering the volume of imports and performance of the domestic industry prior to duty concession period, during tariff reduction/elimination period and during post tariff elimination period. The table above shows the factual position. There is significant increase in imports, both in absolute terms and in relation to production and consumption. While price undercutting was earlier negative, the same has progressively become positive as the duty concession has increased. Further, performance of the domestic industry has declined in the terms of market share and profits over the period. Further, in the most recent period, with further increase in imports, the performance of the domestic industry has declined in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume and profit/loss. Thus, performance of domestic industry has shown deterioration with the primary cause being imports from Korea.
- p. As regard the contention that data in the preliminary findings showing that reduction in duties led to significant injury to the domestic industry pertained to the applicable rate of customs duty from ASEAN Countries and not Korea RP, the Director General notes that in the preliminary finding customs duty applicable to Korea was considered for the injury examination. However in the table, reference to customs duty applicable to ASEAN Countries was inadvertently mentioned, which has now been corrected in this finding.
- q. As regard to contention that volume of imports in the petition filed in the previous anti-dumping investigation and current Bilateral Safeguard are different, the Director General notes that volume of imports was considered based on DGCI&S data in the final finding concerning anti-dumping investigation. The Director General further notes that there is no difference in import volume considered in the present investigation.

E.1 Product under consideration

22. The product under consideration in the present investigation is “Polybutadiene Rubber” classified under HS Code 40022000. Polybutadiene Rubber (also referred to as PBR) is a synthetic rubber that is a polymer formed from the polymerization of the monomer 1,3-butadiene. It is used in the manufacture of tyres mainly and is also used as an additive to improve the mechanical strength of plastics such as polystyrene and acrylonitrile butadiene styrene.

23. The product is produced in 5 grades which can be differentiated on the basis of the catalyst used in production. The grades may be identified as: Neodymium, Cobalt, Nickel, Titanium and Lithium. The Applicant has stated that it does not produce two grades, i.e., Titanium and Lithium grades. With regards to the claim of the interested parties that Neodymium grade should be excluded from the scope of investigation, it is noted that the domestic industry has produced and sold Neodymium grade and thus there is no merit in the claim for exclusion of Neodymium grade. The Authority in the previous anti-dumping investigation had also examined this aspect and did not exclude the Neodymium grade from the scope of product under consideration.

One of the interested parties has sought exclusion of titanium and lithium grades from the scope of PUC. It is clarified that those grades were already excluded from the scope of the product under consideration at the stage of the preliminary findings.

24. On the basis of information on record, the scope of product under consideration has been kept as "Polybutadiene Rubber", classified under HS Code 40022000, of Neodymium, Cobalt and Nickel grades, excluding titanium and lithium grades.

E.2 Domestic industry

25. The Rule 2(b) of Bilateral Safeguard Measures Rules, 2017 states as follows: -

"domestic industry" means the producers -

(i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or

(ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;

26. It is seen that the Applicant is the only producer of the subject goods in the country. Therefore, the requirement of standing under the Rules is satisfied and the Applicant is considered as domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules.

E.3 Period of investigation

27. The period considered for the purposes of present investigation, as notified in the notice of initiation, is from April, 2015 to June, 2019. Further, since this is a safeguard investigation, considering the past practice, the Director General has considered the data for the period up to Sept., 2019, being the most recent period for which the data is available.

28. The domestic industry provided data for the period upto March 2020. However, the Director General has already added data for the period up to September, 2019, and the same was made available to the interested parties by the domestic industry as well as through preliminary findings. Further, the investigation was initiated in October, 2019. Hence, it will not be appropriate to consider data for the period after initiation. There are no factors which justify consideration of data for the subsequent period. Therefore, the data for the period after September, 2019 has not been considered in the present determination. Further, since the interested parties have raised concerns whether imports have increased as a result of concessions and whether the performance of the domestic industry has deteriorated due to duty concessions, the Director General has also considered the data for the period from 2007-08. The Director General also notes that this data was part of the application.

E.4 Confidentiality

29. Rule 6 of the Rules deals with confidentiality of information. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Director General has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Director General made available the non-confidential versions of the evidences submitted by various interested parties to all interested parties for inspection through public file.

E.5 Customs Duty under Comprehensive Economic Partnership Agreement

30. The rate of custom duty on the imports of Polybutadiene Rubber after considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is as follows: -

SN	Custom Notification	Date of Notification	Rate
1	No.- 152/ 2009-Customs	31st Dec 2009	10.94%
2	No.- 137/ 2010-Customs	31st Dec 2010	9.38%
3	No.- 123/ 2011-Customs	31st Dec 2011	7.81%
4	No.- 066/ 2012-Customs	31st Dec 2012	6.25%
5	No.- 054/ 2013-Customs	31st Dec 2013	4.69%
6	No.- 035/ 2014-Customs	31st Dec 2014	3.13%
7	No.- 060/ 2015-Customs	31st Dec 2015	1.56%
8	No.- 066/ 2016-Customs	31st Dec 2016	0.00%

SN	Year	Customs duty %
1	2007-08	10.00%
2	2008-09	10.00%
3	2009-10	10.24%
4	2010-11	10.55%
5	2011-12	8.99%
6	2012-13	7.42%
7	2013-14	5.86%
8	2014-15	4.30%
9	2015-16	2.74%
10	2016-17	1.17%
11	2017-18	0.00%
12	2018-19	0.00%
13	Apr'19-Jun'19	0.00%
14	Jul'19-Sep'19	0.00%

E.6 Source of information

31. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports for the required analysis. Information since 2007-08 provided in the application filed by the domestic industry has also been considered, wherever relevant and necessary.

E.7 Increased imports from Korea RP

32. Rule 2 (c) of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states:

"increased imports" includes increase in imports from the Republic of Korea whether in absolute terms or relative to domestic production

33. The said Rules require an examination whether imports of the product under consideration increased in such quantities in absolute or relative terms so as to constitute "increased imports". The Director General examined the imports, in both absolute terms and in relation to imports into India,

production and consumption in India. Analysis of increased imports of the product under consideration has been conducted having regard to the said Rules and CEPA Rules.

i. Imports from Korea RP in absolute terms:

34. The movement of imports is shown in the table below:

S. No.	Year	Import volume	Trend	Customs duty
		MT	Index	
1	2015-16	23,876	100	2.74%
2	2016-17	26,459	111	1.17%
3	2017-18	46,344	194	0.00%
4	2018-19	48,658	204	0.00%
5	Apr'19-Jun'19	12,316	206	0.00%
6	Jul'19-Sep'19	10,692	179	0.00%

35. It is seen that imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms over the period. With total elimination of tariff in 2017-18, Korean imports increased by 75% in absolute terms in the year and have remained at similar levels thereafter.

ii. Imports in relation to total imports in India

36. The share of imports of subject goods from Korea RP and other countries is shown in the table below:

SN	Year	Imports in MT			Share in imports	
		Korea RP	Other countries	Total imports	Korea RP	Other countries
1	2015-16	23,876	39,702	63,578	38%	62%
2	2016-17	26,459	45,247	71,706	37%	63%
3	2017-18	46,344	38,744	85,088	54%	46%
4	2018-19	48,658	41,976	90,634	54%	46%
5	Apr'19-Jun'19	12,316	11,240	23,556	52%	48%
6	Jul'19-Sep'19	10,692	9,281	19,973	54%	46%

37. It is seen that share of imports of the product under consideration from Korea increased over the period with the increasing tariff concession, whereas the share of other countries declined. With total elimination of tariff, Korean imports have started commanding majority share in imports of the subject goods into India. Even when imports are being reported from a number of other countries, their share collectively is lower than the share of Korea alone.

iii. Increase in imports in relation to production and consumption in India

38. The movement of imports of subject goods in relation to production and consumption in India is shown in the table below:

SN	Particulars	Korea imports	Production	Demand	Imports in relation to	
					Production	Consumption
		MT	MT - trend	MT- trend	%- trend	%- trend
1	2015-16	23,876	100	100	100	100
2	2016-17	26,459	104	106	106	105
3	2017-18	46,344	101	112	191	173
4	2018-19	48,658	109	116	187	175
5	Apr'19-Jun'19	12,316	116	117	178	176
6	Jul'19-Sep'19	10,692	115	102	156	176

39. It is seen that imports from Korea increased significantly in relation to production and consumption in India with increase in duty concession.
40. It is thus noted that the imports of subject goods have increased significantly in absolute terms, as well as in relation to imports in India, Indian production and consumption in India. It is also seen that the imports increased significantly in 2017-18 with the full concessions given to the Korean exports.

E.8 Injury

41. Serious Injury is defined as follows under the Rules:

(f) serious injury means a significant overall impairment in the position of a domestic industry; and

(g) "threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent.

42. Thus, increase in imports should be such which causes a significant overall impairment in the position of a domestic industry.
43. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely: -

(a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and

(b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods.

44. It is noted that evaluation of the listed parameters needs to take into account peculiarities of different industries and situations. The Director General has therefore examined the fact of presence or otherwise of serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the industry. In analyzing serious injury, all factors mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury, have been considered. The determination of serious injury thus is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

a. Increase in imports in absolute and relative terms

45. As noted above, imports of subject goods have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. It is also seen that the imports increased significantly in 2017-18 with the full concessions given to the Korean exports.

b. Capacity, Production, Capacity Utilization and Domestic Sales

46. The details of capacity, capacity utilization, domestic sales and export sales are as follows-

SN	Years	Capacity	Production	Capacity Utilisation	Domestic sales	Export
		MT - trend	MT - trend	% - trend	MT - trend	MT - trend
1	2015-16	100	100	100	100	100
2	2016-17	100	104	104	102	77
3	2017-18	100	101	101	100	103
4	2018-19	100	109	109	101	203
5	Apr'19-Jun'19	100	116	463	99	266
6	Jul'19-Sep'19	100	115	459	88	397

47. It is seen that: -

- The production of the domestic industry has increased over the injury period. Consequently, the capacity utilisation has also improved. However, with the increase in imports in 2017-18, the production declined. Production increased thereafter.
- The domestic sales of the domestic industry increased in line with the production in 2016-17. However, with full duty concession in 2017-18 and consequent increase in Korean imports, the domestic sales declined with the decline in production and thereafter couldn't keep pace with the increase in production, despite increase in Indian consumption/demand. Further, the domestic industry has made corresponding increase in its export sales. The domestic industry has claimed that the increase in exports is on account of absence of demand for its product in the domestic market, as it has not been able to sell its entire production in the domestic market post-elimination of import duty.

c. Market share of the domestic industry

48. The movement of market share is as follows:

SN	Particulars	Share in Demand% - trend			
		Domestic industry	Other Countries	Korean imports	Total
1	2015-16	100	100	100	100%
2	2016-17	96	108	105	100%
3	2017-18	89	87	173	100%
4	2018-19	87	91	175	100%
5	Apr'19-Jun'19	85	97	176	100%
6	Jul'19-Sep'19	86	92	176	100%

49. It is seen that whereas market share of domestic industry declined, that of Korean imports increased significantly. Further, with significant increase in market share of Korea in 2017-18, share of both domestic industry and other foreign countries declined.

d. Employment and Productivity

50. The data on employment and productivity is as follows-

SN	Year	No. of Employees	Productivity per day	Productivity per employee
		Trend - Nos.	Trend - MT/Day	Trend - MT/Nos.
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	97	104	107
3	2017-18	92	102	111
4	2018-19	89	109	122
5	Apr'19-Jun'19	89	116	130
6	Jul'19-Sep'19	89	115	129

51. The number of employees have reduced after elimination of import duty. The applicant has however, submitted that performance on these accounts are dependent on a number of other parameters and is not directly linked to import competition.

e. Inventory

52. The data on inventory shows as follows-

SN	Particulars	Opening stock Trend (MT)	Closing Stock Trend (MT)	Average stock Trend (MT)
1	2015-16	100	100	100
2	2016-17	52	122	76
3	2017-18	63	68	65
4	2018-19	35	45	38
5	Q1-2019-20	23	74	40
6	Q2-2019-20	38	121	66

53. It is seen that the domestic industry was earlier holding high level of inventories. The level of inventories declined till March, 2019. However, inventories increased once again thereafter.

f. Profit/loss

54. The data on profits shows is as follows-

SN	Year	Profit/(loss)		ROI
		Total (Rs. lacs) - trend	Per unit (Rs./MT) - trend	% - trend
1	2015-16	-100	-100	-100
2	2016-17	-67	-65	-59
3	2017-18	-6	-6	-6
4	2018-19	-33	-33	-29
5	Apr'19-Jun'19	28	28	26
6	Jul'19-Sep'19	-49	-55	-44

55. It is seen that the domestic industry is suffering significant financial losses in the product under consideration. The domestic industry submitted that it was earlier in profits in respect of the product under consideration when the product was not having duty concessions. However, with the duty concessions given under CEPA, the profitability of the domestic industry got eroded significantly and the domestic industry is suffering high losses. In view of the argument of interested parties, the Director General has considered the information on profit/loss provided in the application since 2007-08 along with applicable customs duty. It is observed that the domestic industry was earlier in profits when there was no or low concession and the domestic industry has now been suffering financial losses when Korean imports have full concessions, as shown below:

SN	Year	Customs duty on imports from Korea %	Profit/loss Rs./MT – trend
1	2007-08	10.00%	100
2	2008-09	10.00%	151
3	2009-10	10.24%	98
4	2010-11	10.55%	216
5	2011-12	8.99%	41
6	2012-13	7.42%	159
7	2013-14	5.86%	43
8	2014-15	4.30%	-52
9	2015-16	2.74%	-60
10	2016-17	1.17%	-39
11	2017-18	0.00%	-3
12	2018-19	0.00%	-20
13	Apr'19-Jun'19	0.00%	17
14	Jul'19-Sep'19	0.00%	-33

Price undercutting

56. It was examined whether the imports from Korea were undercutting the prices of the domestic industry and whether these imports were becoming benchmark for all other suppliers in the market. For the purpose, the landed price of imports from various countries viz. Korea, Japan, ASEAN & other countries were compared with each other and with the selling price of domestic industry. The Director General also examined whether the effect of Korean imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of Korean imports has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and depression.

SN	Year	Landed Price				Domestic Selling Price
		Korea RP	ASEAN countries	Japan	Other Countries	
		Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT
1	2015-16	89,939	87,099	83,903	89,590	100
2	2016-17	1,14,176	1,21,863	99,444	1,08,450	145
3	2017-18	1,28,169	1,32,194	1,65,028	1,35,062	141
4	2018-19	1,33,118	1,34,850	1,35,202	1,36,999	150
5	Apr'19-Jun'19	1,08,887	1,09,597	1,22,086	1,20,920	124
6	Jul'19-Sep'19	1,08,909	1,10,581	1,16,364	1,16,611	123
7	April to Sept., 19	1,08,897	1,10,024	1,18,620	1,18,921	124

SN	Year	Landed Price- Indexed				Domestic Selling Price
		Korea RP	ASEAN Countries	Japan	Other countries	
1	2015-16	100	97	93	100	100
2	2016-17	100	107	87	95	145
3	2017-18	100	103	129	105	141
4	2018-19	100	101	102	103	150
5	Apr'19-Jun'19	100	101	112	111	124
6	Jul'19-Sep'19	100	102	107	107	123

57. It is seen that whereas earlier it were import price from rest of the world which were lower than or equal to the import price from Korea, from 2017-18, when the Korean exports received full duty concession benefits, it was Korean prices which were lower than the import price from rest of the world. Further, the landed price of imports from Korea RP has been lower than the selling price of the domestic industry, thus establishing that the domestic industry and other suppliers in the market have been forced to benchmark its prices with the import prices from Korea RP.
58. Landed price of imports from Korea RP are lower than the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices.

SN	Year	Selling Price	Landed price	Price Undercutting	Price Undercutting
		Rs/MT - Trend	Rs/MT	Rs/MT	% - Range
1	2015-16	100	89,939	***	2.5% - 12.5%
2	2016-17	145	1,14,176	***	15-25%
3	2017-18	141	1,28,169	***	2.5% - 12.5%
4	2018-19	150	1,33,118	***	2.5% - 12.5%
5	Apr'19-Jun'19	124	1,08,887	***	5%-15%
6	Jul'19-Sep'19	123	1,08,909	***	5%-15%

59. The table below shows the comparison of cost of production, selling price of the domestic industry with the landed price of imports from Korea RP.

SN	Year	Cost of Sales	Selling Price	Landed Price Korea
		Rs/MT	Rs/MT	Rs/MT
1	2015-16	100	100	89,939
2	2016-17	132	145	1,14,176
3	2017-18	119	141	1,28,169
4	2018-19	131	150	1,33,118
5	Apr'19-Jun'19	99	124	1,08,887
6	Jul'19-Sep'19	112	123	1,08,909

60. It is seen that the prices offered by the Korean producers were below not only the selling price of the domestic industry, but also the cost of production of the domestic industry except in the year 2017-18 and Apr19-Jun19 quarter.

E. CONCLUSION ON INJURY

61. It is concluded that the imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms, in relation to total imports in India as also in relation to the Indian production and consumption. As a result of significant increase in imports from Korea RP, and as the duty concession increased, the performance of the domestic industry has deteriorated as seen in sales, market share, profit, ROI and rising less profitable exports. Considering the performance of the domestic producer in respect of various parameters, it is concluded that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from Korea at low prices.

F. CAUSAL LINK

62. A comprehensive evaluation of performance of the domestic industry, as brought out hereinabove, demonstrates that domestic industry has suffered serious injury. It was examined whether the injury to the domestic industry is due to duty concessions and consequent increase in imports from Korea RP. Further, in view of the arguments of the interested parties that the Director General is required to examine whether the claimed injury is on account of duty concessions or some other factors, the Director General also considered the performance of the domestic industry over longer period, including the period when there was no duty concession. Relevant information on this account is contained in the application filed by the domestic industry, which is also accessible to the interested party through access to the public version of the application.
- a. It was examined whether any other factor could have caused serious injury to the domestic industry. The Director General considered various known parameters and parameters brought by the interested parties and concluded that the reported injury to the domestic industry is not due to possible existence of other factors operating at the same time.
 - b. The imports of product under consideration have increased significantly with increase in tariff concessions to the Korean imports and the eventual elimination of customs duty.
 - c. With full duty concessions, the landed price of Korean import is lower than the landed price of imports from rest of the world and selling price of the domestic industry. It was the Korean prices which were benchmarking the prices of the product in the market.
 - d. While the production and capacity utilization of the domestic industry has increased, the domestic sales of the domestic industry have not increased with the rising imports as a consequence of duty concessions. While the domestic sales earlier stagnated, the same declined in most recent period. Further, rising exports at less favourable prices are a result of increase in imports in India.
63. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by increased Korean imports and there exists a causal link between increased imports of subject goods from Korea and serious injury to the domestic industry.

G. ADJUSTMENT PLAN

64. The Applicant has provided details of the adjustment plan during the course of the investigation. The Applicant has stated that it shall take measures towards reducing costs on a number of counts. It has identified action plan directed at catalyst & chemicals cost reduction, conversion cost reduction, improvement in process efficiency, improvement in consumption norms, reduction in transportation costs, improvement in turnaround of stocks, etc. The Director General notes that the Applicant has drawn an adjustment plan to become import competitive.

H. PUBLIC INTERST

65. Interested parties have contended that imposition of safeguard measures would severely prejudice the public interest, as a number of end user industries would be impacted. It has also been argued that the imposition of safeguard measures would drive up the prices and create a shortage of supply and this would be against consumer interest. Concerns have also been raised about the demand and supply gap in the country. It has been also contended that the applicant would create a dominant position as it is the sole producer.
66. The Director General notes that the present measures are not directed towards imposing any additional duty but only towards withdrawal of concession given earlier, that too in respect of imports from Korea alone. Imports from all other sources are totally unaffected by the proposed measures.
67. As regards concerns of inadequate domestic capacity to cater to the demand, it is noted that imports from Korea in any case shall continue to be available at MFN rate of customs duty even after imposition of proposed measure. Further, imports from all other sources shall also remain accessible.
68. The Director General notes that none of the interested parties have provided any verifiable evidence and information on how invoking present bilateral measures will lead to unbearable adverse impact. The interested parties have only made assertions that the product is an intermediate product and the imposition of duties will have an impact on the user industry. But these parties have not presented any relevant data. Against this, the domestic industry has worked out the impact of imposition of proposed safeguard measures on the prices of tyres, It is seen that the impact on the final prices of tyres is quite insignificant.

I. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

69. On the basis of the examination above, it is concluded that increased imports of subject goods have caused serious injury to the domestic industry. With regard to imposition of bilateral safeguard measure, Rule 10 of India – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows:

(1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within an extended period not exceeding one year from the date of initiation of the investigation, as the Central Government may allow, determine whether-

(a) the increased imports of the originating good under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and

(b) a causal link exists between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a custom duty under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall also give his recommendation regarding bilateral safeguard measure which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the bilateral safeguard measure:

Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General may also recommend progressive liberalisation of the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of application, adequate to facilitate adjustment.

70. After examining the above, it is concluded that
- Imports of the product from Korea have increased and constitute “increased imports” within the meaning of the Rules and Korea-India CEPA.
 - The increased imports have caused serious injury to the domestic industry,
 - There exists a causal link between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of custom duty under the Korea-India CEPA and serious injury to the domestic industry.

71. It is thus considered appropriate to recommend bilateral safeguard measure in terms of Rule 10 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, the Director General recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods (Polybutadiene Rubber), excluding its titanium and lithium grades, originating in Korea RP to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the date of application of Bilateral safeguard measure or Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the day immediately preceding the date of entry into force of India-Korea CEPA, whichever is less. The measure is recommended for a period of two years as per table below from the date of issue of the notification of imposition of provisional safeguard measure by the Central Government vide Notification No.31/2020-Customs dated 13th July, 2020.

Year	Bilateral Safeguard measures
First year	Increase the rate of customs duty to the level of @100% of Most Favoured Nation applied rate of customs duty.
Second year	Increase the rate of customs duty to the level of @75% of Most Favoured Nation applied rate of customs duty.

72. Subject to the above, the Preliminary Finding notified vide notification dated 12th May, 2020 is hereby confirmed.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Director General